पंचम माला, खंड 56, अंक 19 मंगलवार, 3 फरवरी 1976/14 माघ 1897 (शक)
Fifth Series, Vol. LVI, No. 19 Tuesday, February 3, 1976/Magha 14, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 56 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

मंगलवार, 3 फरवरी, 1976/14 माघ, 1897 (शक)

Tuesday, February 3, 1976/*Magha* 14 1897 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	PAGE
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	1—7
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha .	7
खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक— (राज्य सभा द्वारा पारित रूप में)	Food Adulteration (Amendment) Bill— As passed by Rajya Sabha . .	7
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	7
बेलमपाली कोयला खान में कथित दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप कुछ खनिक मारे गये	Reported accident in Bellampali Coal mine resulting in death of some miners . .	
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
89वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	Eighty-ninth Report and Minutes . .	8
तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा कुछ अन्य मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच सम्बन्धी आयोग के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Commission of Inquiry to inquire into Allegations against the former Chief Minister and some Ministers of Tamil Nadu—	
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta .	9—10
संविधान (32वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Thirty-Second) Amendment Bill—	
संयुक्त समिति के सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members to Joint Committee	10—11
लोक सभा (कालावधि विस्तारण) विधेयक—पुर:स्थापित	House of People (Extension of Duration) Bill— Introduced —	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H.R. Gokhale .	11
श्री इराज्मु द सैकेरा	Shri Erasmo de Sequeira . .	11
मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प तथा मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक—	Statutory Resolution Re. Disapproval of Payment of Wages (Amendment) Ordinance, and Payment of Wages (Amendment) Bill—	

विषय	SUBJECT	PAGE
राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	12—18
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . . .	12—13, 17—18
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	13—14, 17
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	14—15
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai .	15
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen . .	15—16
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	16
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	16
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . .	16
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey .	16
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	17
(खण्ड 2 से 5 तथा 1)	Clauses 2 to 5 and 1 .	18—20
संशोधित रूप में, पास किये जाने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended—	
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	21
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail .	21
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . . .	21
बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प तथा बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक	Statutory Resolution re. Disapproval of Payment of Bonus (Amendment) Ordinance and Payment of Bonus (Amendment) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider as passed by Rajya Sabha—	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . . .	22—25
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . .	25—28
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya. . . .	29—30
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai .	30—31
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee . .	31—32
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen . .	32—34
श्री इराज्मु द सैकेरा	Shri Erasmo de Sequeira . . .	34

विषय	SUBJECT	PAGE
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra .	34—35
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair . .	35
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe .	35—36
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey .	36
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha .	37
श्रीमती रोजा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande . .	37
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha .	37
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	38
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	38
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh . .	38—39
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai . . .	39—40
डा० कैलास	Dr. Kailas . .	40
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy .	40

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 3 फरवरी, 1976/14 माघ, 1897 (शक)

Tuesday, February 3, 1976/Magha 14, 1897 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)। मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 2685 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 1928 में कतिपय संशोधन किया गया है तथा उसका शुद्धि पत्र जो दिनांक 24 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 471 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10305/76]

(2) (एक) लोक परिसर (अनिधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 20(ङ०) की एक प्रति जो दिनांक 12 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

[श्री एच० के० एल० भगत]

हुई थी तथा जिसमें दिनांक 13 दिसम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1883 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10306/76]

टैक्टरों के वितरण और विक्रय के बारे में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1971 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 5091 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1971 जो दिनांक 19 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 5184 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1971 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 5508 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1972 जो दिनांक 10 फरवरी, 1972 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 132 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1974 जो दिनांक 29 अगस्त, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 511 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(छः) सां० आ० 624 (ङ) जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ट्रैक्टर (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1967 रद्द किया गया है।

(सात) ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1975 जो दिनांक 26 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 154 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1976 जो दिनांक 27 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 65 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (एक) से (सात) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 10307/76]

तम्बाकू उत्पाद शुल्क टैरिफ समिति के प्रतिवेदन (खण्ड 1 और 2)

राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं तम्बाकू उत्पाद शुल्क टैरिफ समिति के प्रतिवेदन खण्ड 1 और 2 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 10308/76]

उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा 1972-73 तथा लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धी विवरण

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : मैं (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(तीन) उड़ीसा सड़क परिहवन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) के निदेशकों का प्रतिवेदन, वर्ष 1972-73 के लेखे का विवरण तथा उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 10309/76]

मार्डन बेकरीज लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा 1974-75 तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एवं दिल्ली के भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन नियम 1976

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) माडर्न बेकरीज़ (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माडर्न बेकरीज़ (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल०टी० 10310/76]

(2) दिल्ली भूधृति (अधिकतम-सीमा) अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली भूधृति (अधिकतम-सीमा) (संशोधन) नियम, 1976, जो दिनांक 14 जनवरी, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 11(12)/एस०के०/सी०/76 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 10311/76]

कम्पनी अधिनियम की धारा 81 के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले प्रारूप आदेश

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उपर्युक्त अधिनियम की धारा 81 की उपधारा (4) के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले निम्नलिखित प्रारूप आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) आदेश संख्या 33/61/75-सी०एल० III जिसके द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फ़िल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, इन्दुनगर, उटाकमण्ड को अपने ऋण के एक भाग को साम्य अंश पूंजी में परिवर्तित करने का निदेश दिया गया है।

(2) आदश संख्या 33/7/76-सी०एल०-III जिसके द्वारा मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को अपने ऋण के एक भाग को साम्य अंश पूंजी में परिवर्तित करने का निदेश दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल०टी० 10312/76]

गोग्रा शिपयार्ड लिमिटेड तथा मजगांव डाक लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1974–75

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) गोग्रा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्कोडा-गामा, गोग्रा का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 10313/76]

मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं वार्षिकप्रतिवेदन 1972–73 तथा परिवहन निगम नई दिल्ली के प्रमाणित लेखे 1971–72 तथा विलम्ब के कारण

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस ई सी. ई. 3(44)/73-टीपीटी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 जनवरी, 1975 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 10314/76]

(3) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाल एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम की 3 नवम्बर, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[श्री दलबीर सिंह]

(6) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल०टी० 10315/76]

निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा काजू गिरी निर्यात, त्स्य तथा मत्स्य उत्पाद निर्यात एवं मेंढक की टाँगों का निर्यात तथा काफी (संशोधन) नियम, 1975 तथा विलम्ब के कारण

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): मैं (1) निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) काजू गिरी निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 17 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 329 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मत्स्य तथा मत्स्य उत्पाद निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 17 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 330 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) मेंढक की टांगों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 17 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 331 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 10316/76]

(2) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कॉफी (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०सा०नि० 456 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 10317/76]

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन 1974-75 तथा विलम्ब के कारण

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं श्री डी०पी० यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10318/76]

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ उसका हिन्दी संस्करन सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 10319/76]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने 27 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1976 पास किया है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 27 जनवरी, 1976 को पास किये गये पाण्डिचेरी विनियोग विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा 2 फरवरी, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 जनवरी, 1976 को पास किये गये आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड, (रिफ्रैक्टरी संयंत्र का आर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL

महासचिव : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं ऊर्जा मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"सिंगरेनी कोयला खानों की वेल्लमपाली कोयला खान में 28 जनवरी, 1976 को हुई दुर्घटना, जिसमें 5 खनिक मारे गए तथा कई अन्य घायल हुए के समाचार।"

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मुझे सदन को यह बताते हुए खेद है कि सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० (आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन एक प्रतिष्ठान) से प्राप्त सूचना के अनुसार 28 जनवरी, 1976 को रात को लगभग 10.30 बजे वेलामपाली कोयला खान की दूसरी इन्कलाईन में औसतन 13 मीटर/4.5 मीटर/2.5 मीटर मोटी छत गिरने से एक दुर्घटना हुई जिसमें तीन मजदूर घटना स्थल पर ही मारे गए। दो मजदूरों को, जो फंस गए थे, बचाया गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया परन्तु घावों के कारण वे भी 29-1-76 को मर गए। अध्यक्ष-व-प्रबन्ध निदेशक सहित कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने फौरन जाकर खान का मुआयना किया। मारे गए मजदूरों के प्रत्येक परिवार को 500 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई। कामगार मुआवजा अधिनियम के अनुसार मृतकों के परिवारों को शीघ्र ही मुआवजे की राशि दे दी जायेगी। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने इस दुर्घटना की जांच की है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करने में सदन मेरा साथ देगा।

Sardar Swaran Singh Sokhi: It is a matter of great regret that just after Chasnala accident another accident has occurred in Singareni Collieries. The Labour Minister and the Minister for Energy are responsible for this. I want to know whether the Director General of Mines Safety used to carry out periodical checks of this mine. I also want to know whether compensation will be given on old rates and whether ex-gratia payment of Rs. 500 is enough for the families of deceased workers.

As for the safety of mines is concerned it is not proper to shoulder off all the responsibility on the Director General of Mines Safety. I want to know whether it is not the duty of the management to ensure the safety of the mine. The hon. Minister has stated that the Director General of Mines Safety has instituted an enquiry. I want to know whether the Government has conducted an enquiry. If not, whether they intend to do so. I also want to know as to what steps are being taken by the Government in order to avoid such accidents in future so that the safety of mines is also ensured.

Shri K.C. Pant : The General Manager had inspected the colliery ten days before the accident. Colliery Manager used to inspect daily and inspite of all this the accident occurred. The Director General of Mines Safety has enquired into the accident. It has been stated in the preliminary report that "The accident appears to be a misadventure; the accident is due to the factors beyond human control."

The final report is awaited. I do not want to say anything more on this subject. Apart from the D.G.M.S. we have set up an internal safety organisation in the public sector coal mines and it has started functioning. The safety officers appointed thereunder have been asked to take such steps as will prevent accidents.

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

88वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री तुलसी दास दासप्पा (मैसूर) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :-

(एक) मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)—भारतीय विशेषज्ञों तथा अधिकारियों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर 88वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा कुछ अन्य मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों सम्बन्धी जाँच आयोग के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. COMMISSION OF INQUIRY TO INQUIRE INTO ALLEGATIONS AGAINST THE FORMER CHIEF MINISTER AND SOME OTHER MINISTERS OF TAMIL NADU

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसद-कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : जैसा कि सदन को मालूम ही है कि कुछ समय से भूतपूर्व तमिलनाडु शासन के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात, प्रशासनिक तथा वित्तीय अनउपयुक्ताओं और पदीय स्थिति के दुरुपयोग के आरोप प्राप्त हो रहे थे। नवम्बर, 1972 में तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य, श्री एम० जी० रामचन्द्रन ने आरोपो का एक ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया था और इसके बाद श्री एम० कल्याण-सुन्दरम्, संसद सदस्य तथा कुछ अन्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति को आरोपों का एक ज्ञापन पेश किया था जिसके बाद श्री एम० कल्याण सुन्दरम् से एक और पत्र प्राप्त हुआ था। इन ज्ञापनों में कुल मिलाकर 54 आरोप लगाये गये थे (दोहराये गये आरोपों को अलग आरोपों के रूप में नहीं गिना गया था)। इनमें से 27 आरोप व्यक्तिगत रूप से श्री एम० करुणानिधि के विरुद्ध थे और 13 आरोप अन्य राज्य मंत्रियों के विरुद्ध थे। शेष 14 आरोप सामान्य प्रकार के थे, जिनका सम्बन्ध अधिकांशतः उस राज्य के तत्कालीन शासक दल द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने से था।

हमने नियत कार्यविधि के अनुसार, इन आरोपों के सम्बन्ध में श्री करुणानिधि की टिप्पणियां मांगी थीं और बाद में अभ्यावेदकों से प्राप्त हुये प्रत्युत्तरों को भी उनके पास टिप्पणियों के लिये भेजा गया था। उनसे प्राप्त टिप्पणियों, यद्यपि मात्रा में बहुत अधिक थी, किन्तु वे उन विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त मात्रा में जानकारी नहीं देती थी जिनकी कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिये आवश्यकता थी। यहां तक कि जो स्पष्टीकरण बाद में प्राप्त हुये थे वे भी पूरी तरह सन्तोषजनक नहीं थे।

जिस समय इन आरोपों से सम्बन्धित मामले पर जांच चल रही थी तो विभिन्न विश्वस्त सूत्रों से कुछ विशिष्ट उदाहरण देते हुये आधी रिपोट मिली थी कि राज्य मंत्रियों द्वारा प्रशासनिक तथा वित्तीय अनौचित्य, भ्रष्टाचार, प्राधिकार के दुरुपयोग आदि के कार्य जारी हैं। आरोपों का दिनांक पहली दिसम्बर, 1975 को ऐसा ही एक ज्ञापन श्री के० मनोहरन्, संसद सदस्य तथा श्री जी० विश्वनाथन, संसद सदस्य से प्राप्त हुआ था।

तमिलनाडु के राज्यपाल ने भी दिनांक 29 जनवरी, 1976 की राष्ट्रपति को दी गई अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि शासन तथा अन्तर्ग्रस्त मंत्रियों के विरुद्ध विभिन्न गम्भीर आरोपों की जांच करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये।

तदनुसार, यह निर्णय किया गया कि इन सभी मामलों की जांच एक स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निकाय द्वारा की जानी चाहिये। आज एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा कुछ मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई है। भारत के

[श्री ओम मेहता]

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाधिपति श्री आर० एस० सरकारिया को जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं उक्त अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

फिलहाल, श्री एम० जी० रामाचन्द्रन् के ज्ञापन और श्री एम० कल्याणसुन्दरम् तथा कुछ अन्यों के ज्ञापन में लगाये गये 54 आरोपों में से 27 आरोप, जिनमें प्रथमदृष्टया जांच की आवश्यकता प्रतीत हुई, जांच आयोग को दे दिये गये हैं। कुछ सामग्री तथा सूचना की जो विभिन्न विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हुई है, जांच की जा रही है। यदि ऐसी जांच के बाद यह पाया गया कि कुछ अन्य आरोपों की प्रथमदृष्टया जांच का औचित्य है तो उन्हें जांच के लिये इस आयोग को भेजने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

उक्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी रिपोर्ट एक फरवरी, 1977 तक दे दे। सरकार को आशा है कि आयोग अपना कार्य इस अवधि के भीतर पूरा कर सकेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कल उद्घोषणा का आदेश सभा में रखा गया था और अब मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है। सभा में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिये।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहानपुर) : कल हमने सुना था कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। परन्तु इस सभा को इस सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर नहीं दिया गया। अब एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति के बारे में घोषणा की गई है। क्या इसका अर्थ यह है कि राज्यपाल द्वारा लगाये गये सभी एकतरफा आरोपों पर इस सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। स्थिति क्या है। सरकार पहले एक राज्य सरकार को हटा देती है फिर बाद में आरोप लगाकर एक आयोग द्वारा उसकी जांच करा रही है।

श्री एच० एम० पटेल (ढढुंका) : कार्यवाही करने से पूर्व जांच की जानी चाहिये थी, बाद में नहीं फिर भी हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सदन में इस पर चर्चा होगी अथवा नहीं। सरकार को उद्घोषणा की स्वीकृति सदन से लेनी चाहिये और यह काम शीघ्र किया जाना चाहिये। सरकार का इरादा क्या है तथा उद्घोषणा की सदन द्वारा स्वीकृति कब लेने का प्रस्ताव है।

श्री ओम मेहता : संविधान में व्यवस्था है कि हमें दो महीने के अन्दर सदन की स्वीकृति लेनी होती है। दो महीने पूरे होने से पूर्व ही हम निश्चित रूप से सदन की स्वीकृति ले लेंगे।

संविधान (32वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY-SECOND) AMENDMENT BILL

संयुक्त समिति के सदस्यों की नियुक्ति

APPOINTMENT OF MEMBERS TO JOINT COMMITTEE

श्री हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी

संयुक्त समिति में श्री एच० के० एल० भगत द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुये स्थान पर श्री शशि भूषण को नियुक्त करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री एच० के० एल० भगत द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुये स्थान पर श्री शशि भूषण को नियुक्त करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

लोक सभा (कालावधि विस्तारण) विधेयक

HOUSE OF THE PEOPLE (EXTENSION OF DURATION) BILL

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान लोक सभा की कालावधि बढ़ाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वर्तमान लोक सभा की कालावधि बढ़ाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री इराज्मु-द-सेकैरा (मारमागोआ) : अध्यक्ष महोदय, हमारे समक्ष एक ऐसा विधेयक है जिसका उद्देश्य वर्तमान लोक सभा की कालावधि को बढ़ाना है । मैं इस देश के लिये स्वतन्त्रता और प्रकाश चाहता हूं । आज सारे देश का भार दो कंधों पर है और यह बात हमें पसन्द नहीं क्योंकि दो कन्धों द्वारा 50 करोड़ जनता का भार नहीं उठाया जा सकता ।

वर्तमान लोक सभा की कालावधि 18 मार्च, 1976 को समाप्त हो रही है । अतः हमारे लिये अच्छा यही होगा कि हम भारत की जनता से उस दिन नई लोक सभा के गठन के लिये अनुमति मांगें । अगर हम ऐसा नहीं करते तो उस दिन के बाद भारत सरकार अपनी वैद्यता खो देगी ।

श्री एच० आर० गोखले : यह तो हमें भी मालूम है कि वर्तमान लोक सभा की कालावधि 18 मार्च, 1976 को समाप्त हो रही है । मैं यहाँ यह स्पष्ट कर दूं कि संविधान के अनुसार जहां लोक सभा की सामान्य अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, वहां संविधान में यह व्यवस्था भी है कि कतिपय परिस्थितियों में संसद् को यह सामान्य कालावधि एक समय पर एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार भी प्राप्त है ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि वर्तमान लोक सभा की कालावधि को एक वर्ष तक और बढ़ाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 144 : विपक्ष में 25

Ayes 144 : Noes 25

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प

तथा

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTIONS RE: DISAPPROVAL OF PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) ORDINANCE AND PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 12 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 21) का निरनुमोदन करती है ।"

संकल्प प्रस्तुत करते हुये ही मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जहां तक मजदूरी संदाय अधिनियम की धारा एक का प्रश्न है, मैं उसका विरोध करता हूं । यह ठीक है कि 400 रुपया मासिक पाने वालों की अपेक्षा अब 1000 रुपया मासिक पाने वाले सभी कर्मगारों को मजदूरी संदाय अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा रहा है । मेरा सुझाव यह है कि सरकार को 1000 रुपया पाने वाले सभी प्रकार के कर्मचारियों को, चाहे वह किसी नगरपालिका, विश्वविद्यालय या वाणिज्यिक संस्थान के कर्मचारी ही क्यों न हों, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कर्मकार ही माना जाना चाहिये ।

विधेयक प्रस्तुत करते समय सरकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया है मजदूरों को साहूकारों के चुंगल से बचाने के लिये अब वेतन का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाएगा । मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इससे मबदूरों की परेशानियां और बढ़ जायेंगी । सरकार द्वारा हाल ही में साहूकारी प्रथा का अध्ययन धनबाद कोयला खान क्षेत्र में किया गया था । परन्तु अभी तक हमें यह पता

नहीं चला है कि इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब तक सरकार द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी साहूकार को गिरफ्तार किया गया है ? क्या सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई उदाहरण दिया जा सकता है जहां किसी मजदूर का ऋण माफ कर दिया गया हो ? मैं चाहता हूं कि चैक से भुगतान की सुविधा भले ही उपलब्ध करवाई जाये परन्तु इसे सभी मजदूरों के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिये, जैसा कि कोल इण्डिया लिमिटेड में है। सरकार को इस पहलू पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये ।

बैंकों में खाते खोलने के लिये मजदूरों को विवश करने का उद्देश्य प्रस्तुत विधेयक से स्पष्ट हो जाता है। बैंकों में उनके सैकड़ों रुपये जमा हो जायेंगे । मजदूरों को साहूकारों के शिकंजे से छुड़ाने का तो केवलमात्र बहाना ही है तथ्य तो यह है कि उससे मजदूरों की परेशानियां और बढ़ जायेंगी, क्योंकि बैंक आपात स्थिति की शक्तियों का प्रयोग कर उन्हें बैंकों में जबरदस्ती धन जमा करवाने के लिये विवश करेंगे । मुझे ऐसी जानकारी भी मिली है कि कुछ स्थानों पर मजदूर संघ के उन कार्यकर्ताओं, जिन्होंने अनिवार्य बैंक खाता खोलने का विरोध किया है, के विरुद्ध 'आंसुका' के अन्तर्गत कार्यवाही करने की धमकी भी दी गई है । यदि मंत्री महोदय चाहे तो मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं ।

प्रस्तुत विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये निदेशों के अनुसार नियोजक को मजदूरों के वेतन से अन्य निधियों के लिए कटौती करने का अधिकार भी होगा । इसके साथ ही यह व्यवस्था भी है कि ऐसा करने के लिए सम्बद्ध मजदूर की अनुमति ली जायेगी परन्तु वास्तव में ऐसा किया नहीं जाता है । हाल ही में रेल कर्मचारियों का एक दिन का वेतन बिना उनकी अनुमति से काट लिया गया । मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस उपबन्ध का लोप कर दिया जाये । जैसा कि मैंने आरम्भ में ही कहा यदि बैंक में अनिवार्य खाता खोलने तथा वेतन कटौती सम्बन्धी उपबन्ध को समाप्त कर दिया जाता है तो मैं इस विधेयक का समर्थन करने को तैयार हूं ।

आखिरी बात मैं स्वैच्छिक अंशदान के बारे में कहना चाहता हूं । मैं यह स्पष्ट कर दूं कि स्वैच्छिक अंशदान तो केवल नाममात्र ही है तथ्य तो यह है कि यह अनिवार्य रूप से ही लिया जाता है और यदि कोई ऐसा करने से इंकार करता है तो अगले दिन वह 'आंसुका' के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस की हिरासत में होता है । इस प्रकार के एक नहीं अनेक मामले हुये हैं । वर्ष 1962, 1965 और 1971 में स्वैच्छिक अंशदान के नाम पर इस प्रकार के अनेक खाते खोले गये थे तथा मजदूरों को उनमें अंशदान देने के लिए बाध्य किया गया था । विधेयक का यदि यह तथा मेरे द्वारा उल्लेखित दूसरे उपबन्ध समाप्त कर दिये जायें, तो मैं इसका समर्थन कर सकता हूं ।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं श्री दीनेन भट्टाचार्य के संकल्प का विरोध करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "कि मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि मालिक नियुक्त व्यक्तियों को समय पर उनके वेतन का भुगतान कर दें, उनके वेतन से अनाधिकृत कटौतियां न

[श्री रघुनाथ रेड्डी]

करे तथा न ही उन पर मनमाने ढंग से जुर्माने कर सके। इस अधिनियम के कार्यकरण की समीक्षा राष्ट्री श्रम आयोग द्वारा की गई थी तथा आयोग ने अपने 1969 में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन मेंयह सिफारिश की थी कि 400 रुपये प्रति माह वाली सीमा में वृद्धि की जाये क्योंकि मजदूरी का स्तर बढ़ गया है। तब से समय समय पर मंहगाई भत्ते जिन्हें अधिनियम के अनुसार मजदूरी का ही एक अंग माना जाता है, में वृद्धि होती रही। इसके फलस्वरूप अनेक मजदूर बढ़ी हुई आय के कारण इस अधिनियम के संरक्षण से वंचित हो गये। इसे सुधारने के लिए मज़दूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975, 12 नवम्बर, 1975 को जारी किया गया था जिसके द्वारा "चार सौ रुपये" के स्थान पर "एक हज़ार रुपये" कर दिए गए हैं।

इसी अध्यादेश द्वारा अधिनियम की धारा 6 का भी संशोधन कर दिया गया है जिससे कर्मचारी को सभी प्रकार का वेतन संदाय चल मुद्रा अथवा नोटों अथवा दोनों के रूप में किया जायेगा और उस की लिखित अनुमति से चैक द्वारा या उसके खाते में डाला जा सकेगा।

इस अध्यादेश द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) में तथा खण्ड (त) भी जोड़ा गया है जिससे कर्मचारी की लिखित अनुमति से प्रधान मन्त्री सहायता कोष या केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित किसी कोष में उसके वेतन में से कटौती की जा सके।

इसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए यह विधेयक लाया गया है जिसे राज्य सभा पास कर चुकी है। इसके उपबन्ध विवादास्पद नहीं हैं और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर सभा द्वारा विचार किए जाने का निवेदन करता हूं।

मुझे श्री दीनेन भट्टाचार्य के संकल्प पर आश्चर्य हुआ है। **(व्यवधान)**

यदि वह विधेयक ध्यान से पढ़ते तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि चैक द्वारा भुगतान अनिवार्य नहीं है और यदि कर्मचारी लिखित सहमति न दें तो भुगतान नकदी में ही किया जायेगा। यदि उन्हेंवास्तविक स्थिति की जानकारी होती तो वह यह संकल्प पेश न करते।

प्रधान मन्त्री सहायता कोष में भी कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि सभी कुछ कर्मचारियों की सहमति और इच्छानुसार ही होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का और संशोधन करने वाले विधयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाये।"

क्योंकि इसके लिए केवल 2 घंटे का समय नियत है, अतः सदस्यगण थोड़े में ही अपनी बात कहें।

डा० रानेन सेन (बारासाट) : मैं श्री रेड्डी को यह विधेयक लाने पर बधाई देता हूं क्योंकि श्रमिक आय-सीमा बढ़ाने की मांग काफी समय से करते रहे हैं। मुझे भी मन्त्री महोदय के साथ श्री भट्टाचार्य से संकल्प पर आश्चर्य है। उन्होंने यदि विधेयक ध्यान से पढा होता तो स्पष्ट है

कि इस संकल्प को वह नहीं लाते क्योंकि एक तो स्वयं कर्मचारी चाहते हैं कि मजदूरी उन्हें चैक के रूप में मिले क्योंकि एक तो वे स्वयं अब निरक्षर नहीं हैं और दूसरे अब बैंक देश के सभी भागों में खुल गए हैं और तीसरे बिना कर्मचारी की लिखित अनुमति के मजदूरी उसे नकद ही मिलती रहेगी। 'इंटक', 'एटक' और 'सीटू' जैसे श्रमिक संघ बधाई के पात्र हैं कि उन्होने श्रमिकों को नियोजकों के ज़ोर-ज़ुल्म के विरुद्ध आवाज़ उठाना सिखा दिया है, अतः विभिन्न निधियों में उनसे ज़बरदस्ती अंशदान लेना सम्भव नहीं है इस सम्बन्ध में यदि विधेयक के पृष्ठ 1 की अन्तिम दो पंक्तियां निकाल दी जातीं तो बेहतर होता। फिर भी मैं मन्त्री महोदय को यह विधेयक लाने पर बधाई देता हूं।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि विभिन्न श्रम विधियों में एक रूपता लाई जानी चाहिये क्योंकि औद्योगिक विवाद और बोनस संदाय अधिनियमों में असमानताएं हैं। आशा है मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे क्योंकि सलाहकार समिति में भी यह मामला उठाया जा चुका है।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : I Congratulate the hon. Minister for introducing this Bill and there is hardly any scope for criticising it. I thank him for this for I had been demanding it for the last three years. Since this Act is pretty old, it needs drastic changes in view of the long *strides* taken by the trade union movement since 1936. The minimum wages introduced by Government has not been implemented in various sectors and industries. This should therefore be ensured by Government.

The Payment of wages by cheques should prove a boon to the workers as they are pestered and overawed by creditors and money lenders on pay-days etc.

Regarding contribution to the Relief Fund, this provision is welcome but at the same time I want an amendment in the Factories Act also to enable workers to work during holidays also to make such contributions.

I also want that the payment of gratuity should be made compulsory within say one week of the retirement of a worker and this should be provided for in the Act. I may also point out that dues like Provident Fund are not paid to the workers years after their retirement. Some measures should be taken by the hon. Minister to see that workers are not harassed or put to difficulty due to non-payment of his dues for an indefinite period. The employers have also appropriated crores of rupees of workers in the shape of fine fund and unpaid wages. This should be stopped forthwith.

In the end I again request the hon. Minister to overhaul the Act in the light of my observations. I wholeheartedly support this Bill.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवुत्तुपुजा) : इस विधेयक की काफी समय से प्रतीक्षा थी। जहां सभी श्रमिक संघों का इस विधेयक को समर्थन प्राप्त है, वहां श्री भट्टाचार्य और उनके संघ को यह विधेयक पसन्द नहीं आया है—क्या वे चाहते हैं कि श्रमिक बैंकों में खाते न खोलें या बचत की आदत न डालें ? इस अध्यादेश से पूर्व अनेक कारखानों और उद्योगों में श्रमिकों के अनुरोध के बावजूद उन्हें चैक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता था।

पेश किए गए एक संशोधन के अनुसार इसको 12 नवम्बर, 1980 से लागू करने की बात कही गई है। इस तिथि और वर्ष का क्या महत्व है यह समझ में नहीं आता। क्योंकि विधेयक में अध्यादेश जारी करने की तिथि से इसे लागू करने की बात कही गई है अतः शायद संशोधन में 5 वर्ष बाद की इसी तिथि का उल्लेख है। तो क्या सदस्य महोदय समझते हैं कि पांच वर्ष बाद श्रमिक इतना पढ़ लिख लेंगे कि बैंक-खाते चला सकें—इसका कोई आधार नहीं है।

[श्री सी० एम० स्टीफन]

सरकार द्वारा उठाये गए अच्छे कदमों का भी बिना सोचे-समझे विरोध नहीं करना चाहिये ।

इस अधिनियम में संशोधन करके दाण्डिक उपबन्धों को अधिक कठोर बनाया जाना चाहिये ।

मैं इस विधयक का स्वागत करता हूं और इसके लिए मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं ।

Shri Mohammed Ismail (Barrackpore) : We support the first part of the Bill, but the provision of compulsory payment of wages by cheques is not proper as the lakhs of workers of Tea Industry and coal mines are illiterate and, therefore, cannot operate bank-accounts.

How is it that Government have now suddenly become so sympathetic towards labour, whereas the employers appropriated twenty-crores of rupees of the workers as Provident Fund and no action was taken against them to penalise them although a provision was mad therefor after a delay of 5-7 years?

My submission is that the provision regarding payment of wages by cheques will be made compulsory arbitrarily by the employers (*Interruption*) and morevover, they will delay the payment by five days. This means that the worker will get his wages, not earlier than 15th of the month. The banks will have long queues and normal functioning of the banks will suffer besides inconvenience to workers. Hence our opposition to this provision.

Secondly the association of the name of the Prime Minister with Relief Fund is also not proper and might be exploited by the employer and they might use coersion. This will make her unpopular with the workers. It is not justified to associate the name of Prime Minister with this Fund. It should be named as National Fund. I oppose this Bill.

Shri M. C. Daga (Pali).: There is great disparity between the wages of the workers and administrators. So in order to provide uniform wages and to reduce this disparity of wages between the workers and administrative staff a National wage policy should be evolved. The Payment of wages Act of 1936 should be amended in a comprehensive manner particularly in view of the 20 point economic programme that this disparity may be removed. Those who produce should be given more and the exploiatino of workers should be stopped. Keeping this objective in view this measure should be radically amended.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Sir, I support this Bill. It is necessary to make provision for making payments to workers by cheques so that the workers may be relieved from the clutches of money lenders and exploiters. It is timely measure and it will protect the interests of the workers.

It has been said that most of the workers are illiterate. If it is so, the trade unions should see that some money is spent on imparting necessary education to them. Provisions should be made in such a manner that workers get their money immediately after the employers deposit money in the bank. In this way the employers will not misappropriate workers' money. With these words I support the Bill.

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : Sir, there is not much scope for opposing this Bill, which has been brought here with a pious and commendable intention. But some points require to be given serious thought. Most of the mines are very far away from the main town or city and if the workers have to draw their wages from banks which are situated at a far off distance from their place of work, they will have to face great hardship.

So far as contribution to Prime Minister's Relief Fund is concerned the workers agreed to contribute their one day's salary to the Prime Minister's Fund or Chief Minister's Fund during the time of crisis. But the Payment of Wages Act does not allow such deductions from their wages. So this amending Bill is quite necessary. But it is a fact that the workers have never lagged behind in making their contributions to these Funds. But that mine workers should not be included in this provision ; however we have to be cautious to see that money lender do not exploit them even under this system. This system of making payment through cheque should be made voluntary and it should not be forced on the workers.

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur). I support this Bill. The Minister has done a commendable job in bringing forward this Bill. But it should be ensured that it is implemented properly. In order to save the workers from the clutches of money lenders the provision for making payment to the workers by cheques became quite necessary. It should be made compulsory that all workers are paid by cheques to facilitate this. Branches of banks should be opened in the vicinity of mines. Close watch should be kept on private firms to see that they do not abuse the provisions of this Bill. Provisions shold also be made to secure a minimum wage to workers. I therefore, support this Bill.

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : यह अनिवार्य नहीं है कि मजदूरों को चैक द्वारा भुगतान लेना पड़ेगा। मूल अधिनियम की धारा 6 में यह उपबन्ध किया गया है कि परन्तु नियोजक अपने कर्मचारी से यह लिखित रूप में उसका प्राधिकार लेगा और तभी उसका वेतन चैक द्वारा देगा या उसके बैंक खाते में जमा करा देगा। लिखित प्राधिकार की अनुपस्थिति में नियोजक ऐसा नहीं कर सकेगा। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि किसी कार्मिक संघ या किसी मजदूर को ऐसा प्राधिकार देने के लिए बाध्य किया जायेगा।

जब चैक दिया जाता है तो उसमें कुछ निश्चितता रहती है या जब वह बैंक खाते में जमा कराया जाता है तो उस पर दबाव डालने के लिए कुछ समय तो लगता ही है और इस बीच कार्मिक संघ उस मज़दूर की रक्षा के लिए सामने आ सकता है। परन्तु यदि उसे नकद राशि में भुगतान किया जाये तो रोकड़ कार्यालय छोड़ते समय भी उस पर सभी प्रकार का दबाव डाला जा सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही इस उपबन्ध की व्यवस्था की गई है; क्योंकि अनेक कार्मिक संघ नेताओं ने स्वयं ही यह सुझाव दिया है कि ऐसी व्यवस्था से मजदूरों को लाभ होगा और उनके द्वारा निरन्तर दबाव डाले जाने पर ही हमें यह उपबन्ध लाना पड़ा है।

जहां तक प्रधान मन्त्री रक्षाकोष का सम्बन्ध है, इस कोष में सभी अंशदान देने को तैयार हैं और यह राशि वेतन का भुगतान करते समय ही उनके वेतन में से काट लीजाती है, बजाय इसके कि प्रत्येक मजदूर से धन एकत्रित किया जाये। इस सम्बन्ध में कार्मिक संघ के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनके अभ्यावेदनों के आधार पर ही इस उपबन्ध की व्यवस्था की गई है तथा राष्ट्रीय फण्ड या राष्ट्रीय महत्व के फण्डों जैसा कि प्रधान मन्त्री कोष के लिए अंशदान एकत्रित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मुझे आशा है कि यह विधेयक तुरन्त पारित हो जायेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं मन्त्री महोदय को चुनौती देता हूं कि उन्होने इन कोषों के नाम में करोड़ो रुपया एकत्र किया है। वह धन कहां है उसका हिसाब कहां है।

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि कर्मचारी विशेष से स्पष्ट प्राधिकार लिया जाये कि नियोजक उसकी मजदूरी में से अंशदान काट सकता है और वह चैक द्वारा भुगतान कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय (पीठासीन हुए)

[THE DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रथम खण्ड के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं खण्ड 2 और 3 का घोर विरोध करता हूं क्योंकि चक द्वारा भुगतान करना अनिवार्य बना दिया जायेगा। यह उपबन्ध किया जा

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

रहा है कि भुगतान चैक द्वारा या नकद राशि में किया जायेगा या अन्य किसी तरीके से किया जायेगा जो भी मजदूर को स्वीकार्य हो । लेकिन 80 प्रतिशत नियोजक चैक द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था का लाभ उठायगे और वे बैंक में राशि समय पर जमा नहीं करायेंगे ।

प्रत्येक मजदूर से आप कह रहे हैं कि वह बैंक में खाता खोले । लेकिन आप इससे भी मजदूरों को साहूकारों के चंगुल से नहीं बचा पायेंगे क्योंकि वे मजदूरों को बाध्य करेंगे कि बैंक के चैक द्वारा उन्हें जो राशि प्राप्त हुई है वह उन्हें दे दें ।

फिर यह स्पष्ट नहीं है कि "अन्य किसी कोष" से क्या तात्पर्य है । इसका लाभ उठा कर धनिक और उद्योगपति कई प्रकार के कोष बना लेंगे और फिर अपने मजदूरों से उसमें अंशदान देने के लिए कहेंगे । यह मामला सलाहकार समिति के समक्ष नहीं लाया गया है । अतः मैं अपना संकल्प दोहराता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे स्वीकृत किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 12 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 21) का निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्डवार विचार शुरू किया जाएगा । खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

> "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

Shri Ramavtar Shastri (Patna): I move my amendment No. 4. I always supported the contention that if any worker gives instructions in writing for depositing his pay in the Bank, there is nothing wrong in it. But the worker should not be forced to accept the payment by cheque in case he does give any authorisation. If the worker has given any outhorisation and on the second thought, if he withdraws it in writing, there the worker must-have the right to receive payment in cash according to his choice.

Shri Mohammed Ismail (Barrackpore): I move my Amendment No. 2. The amendm:nt tabled by me sought to add an explainaiion that if any worker desires to withdraw his authorisation to pay him the wages either by cheque or by crediting the wages in his bank account, he can do so after givingin writing a letter to the employer. No serious attempt has ever been made to save the workers from the money-lenders.

श्री रघुनाथ रेड्डी : यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्राधिकार दिया जाता है, तो उसका तात्पर्य यह होता है कि उसने अपनी स्वीकृति दे दी है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह अपने उस प्राधिकार को वापिस नहीं ले सकता । वह जब भी चाहे अपने वेतन का भुगतान नकद या चैक द्वारा ले सकता है । इसकी व्यवस्था विधान में भी की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संसोधन संख्या 2 और 4 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 2 & 4 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री मोहम्मद इस्माइल : मैं अपना संशोधन संख्या 3 पेश करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 5 पेश करता हूं ।

Clause 4 provides that if any worker makes a written authorisation to make a certain deduction from his pay as a contribution to the Prime Ministers Fund, that deduction can be made . But it is not proper to give this right to the employers by legislation. It should be allowed with certain limitations. Further, there is a mention of only Prime Minister's relief Fund in this clause. To that, two other funds, namely, National Defence Fund and the Jawahar Lal Nehru Memorial Fund should also be added. It should also be seen that officials or employers do not resort to force in realising the contribution from workers. It should be entirely voluntary.

Shri Mohammad Ismail: My amendment is that no other fund should be included after Prime Minister's Relief Funnd.

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्री रामावतार शास्त्री और श्री इस्माईल दोनों के संशोधन एक दूसरे के विपरीत हैं । श्री शास्त्री का सुझाव बड़ा सराहनीय है, इस सम्बन्ध में हमने विचार किया है और आवश्यक उपबन्ध पर विचार किया जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 और 5 मतदान के लिए रखे गए और स्वीकृत हुए

Amendments No. 3 and 5 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 'Twenty sixth' (छब्बीस) के स्थान पर 'Twenty seventh' (सत्ताइस) प्रतिस्थापित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 'Twenty sixth' (छब्बीस) के स्थान पर 'Twenty seventh' (सत्ताइस) प्रतिस्थापित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया

The enacting Formula as amended was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The title was added to the Bill.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): इस संशोधन के होने के न बावजूद कर्मचारी आवश्यकता के वक्त पर कभी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने एक जुट होकर काम किया है और खुले मन से दान दिया है।

मैं विधेयक का समर्थन करते हुए इतना चाहता हूं कि नियोजक कानपुर में मजदूरी अधिनियम का किस प्रकार दु पयोग करते रहे हैं। जैपुरिया, का एक मामला है जिसमें 9000 मजदूरों को 4 पख-वाड़ों का वेतन नहीं दिया गया है। उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। इसी प्रकार लक्ष्मी रतन मिल का मामला है वहां पिछले 12 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। वह बन्द हो गया है, परन्तु ऐसी घोषणा नहीं की है। वह दिन आने में देर नहीं है जब वहां के कर्मचारी विद्रोह कर उठेंगे। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करशा हूं कि वे इस सम्बन्धमें कुछ कार्यवाई करें।

Shri Mohammad Ismail : The existing procedure for receiving the arrears of wages is very complicated and it takes the worker quite somtimes befrore he receives the money. For instance, the workers of Khorda Jute Mills could not receive their wages ever after a lapase of sev n months. Similar is the case of Ritz Hotel. These cases should be looked into.

The machinery responsible for implementation of this Bill should be streamlined so that it could function efficiently in the interest of workers.

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्री एस० एम० बनर्जी द्वारा उठाई गई बातों की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार एवं श्रम मंत्रालय से कराउंगा। और शीर्षस्थ निकाय की अगली बैठक से पूर्व इस बारे में सम्पर्क स्थापित करूंगा।

मुझे उम्मीद है श्री इस्माइल तथा श्री दीनेन भट्टाचार्य स्वीकार करेंगे कि इस विधेयक के उपबन्ध श्रमिकों की भलाई के लिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motioa was adopted

बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी साँविधिक संकल्प तथा बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE.PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) ORDINANCE AND PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री इन्द्रजीत गुप्त के बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर विचार करते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुझे प्रसन्नता है कि श्री खाडिलकर आज उपस्थित हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 11) का निरनुमोदन करती है।"

आपात स्थिति के लागू होने के ठीक तीन मास पश्चात् 25 वर्ष की अवधि में कार्मिकों को बोनस के रूप में हुई उपलब्धि समाप्त कर दी गई है । 25 वर्ष के वाद-विवाद के पश्चात् कार्मिकों को यह उपलब्धि प्राप्त हुई थी । दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों को इससे अधिक सहायता नहीं जा सकती थी ।

विगत दो वर्ष की राजनीतिक गतिविधियों से पता चलता है कि जब श्री जय प्रकाश नारायण का आन्दोलन पूरे जोर पर था तथा जब उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ देश के मजदूरों को सम्पूर्ण क्रान्ति' का आह्वान दिया था तब कामिकों से उन्हें कतई सहयोग नहीं मिला ।

संगठित कार्मिक वन्द ने फासिस्टवाद का मुकाबला किया । आज उन्हें ही फासिस्टवाद का शिकार होना पड़ा है ।

कार्मिकों के बोनस घटाए जाने से उनमें असंतोष व्याप्त हो गया है । देश के शत्रुओं को बोनस दे दिया गया है ।

सरकार रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल की चर्चा प्रायः किया करती है । परन्तु रेलवे कर्मचारियों का बोनस के मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है । अभी पिछले दिन प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि देश का कार्मिक वर्ग संकट के समय देश का हित साधता रहा है । क्या कर्मिक वर्ग को उनकी सेवाओं का बदला इसी रूप में दिया जाना था ।

आज यदि आप अमरीका, ब्रिटेन तथा जापान फ्रांस और इटली की आन्तरिक गतिविधियों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि उन देशों में मजदूरों के वेतन वृद्धि पर भी रोक लगाने की मांग की जाती रही है । एकाधिकार को बढ़ावा देने वाले पूंजीपति देशों का यही नारा रहा है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह लोग राष्ट्रीय सम्पत्ति के शत्रु हैं ।

उद्योग मंत्री श्री टी० ए० पाई ने अपने कई वक्तव्यों में पूंजीपति एकाधिकार गृहों पर देश में उत्पादन घटाने का आरोप लगाया है । जितनी अधिक रियायतें इन लोगों को दी जाती हैं उतना ही असंतोष जनक इनका कार्य रहता है । यह लोग केवल अपने लाभ में रुचि रखते हैं । इन लोगों ने जान बूझकर उत्पादन कम किया है । यह लोग दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादियों के सार्वाधिक समर्थक हैं ।

हम यह नहीं चाहते कि देश के शत्रुओं के हित में कार्मिक वर्ग को हानि पहुंचाई जाये और वह भी आपात स्थिति के दौरान । इस देश में स्थित बहुराष्ट्रीय निगम यह चाहते हैं कि बोनस कम से कम दिये जायें ।

श्रम मंत्री स्वयं देश के किसी भी भाग में जाकर देखें कि श्रमिक लोगों की क्या भावनाएं हैं और वे आपात स्थिति के बारे में क्या कहते हैं । क्या यही उपलब्धि आप करना चाहते थे । आज फ्रिमैन तथा किसिंगर गुट निर्पेक्ष देशों से कहते हैं कि यदि आप हमारी मदद चाहते हैं तो यह मत समझें कि यह मदद बिना शर्त मिल सकती है । यह लोग हमें राष्ट्रीय सीमाओं एवं राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को भी त्यागने को कहते हैं ।

बोनस का मामला पहले लाभों में भागीदारी का था, फिर बाद में दिये जाने वाला वेतन और अन्त में लाभ हानि से असरबद्ध घोषित किया गया । 25 वर्ष की उपलब्धि को आपने एक ही झटके से समाप्त कर दिया है । श्रमिक नीति में कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया। न्यूनतम बोनस को 8.33 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत कर दिया गया है और वह भी इसी वर्ष के लिये । अगले वर्ष से न्यूनतम बोनस की संकल्पना ही समाप्त कर दी गई है । इन मामलों में श्रमिक संगठनों से परामर्श नहीं किया गया । 'इन्टक' से भी परामर्श नहीं किया गया । यदि श्रमिकों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता रहा तो उनका समर्थन कैसे मिल सकेगा । कम्पनियों के पिछले कई वर्षों के तुलन-पत्र को देखने से पता चलता है कि उन्होंने कुछ भी आवंटनीय अधिशेष नहीं बचाया । कम्पनियों को कितने ही लाभ हों कार्मिकों के लिये अधिशेष कुछ भी नहीं बचता । हम भली प्रकार जानते हैं कि बड़ी बड़ी कम्पनियों की लेखा परीक्षा किस प्रकार होती है । यह बातें सरकार को विदित हैं । न्यूनतम प्रत्याभूत बोनस चाहे 8.33 प्रतिशत हो या 4 प्रतिशत हो उसकी कोई संगति नहीं है । बोनस बढ़ाये जाने की घोषणा स्वयं प्रधान मंत्री ने की थी । बड़े उद्योगपति जैसे नवल टाटा तथा देवराजलू दिल से जानते हैं कि कम्पनियों के तुलन-पत्र में वास्तविक स्थिति नहीं दिखाई जाती । लाभ और आय छिपाई जाती है तथा कर नहीं दिया जाता । अतः उन्हें पता है कि इस सूत्र से आवंटनीय अधिशेष बचेगा ही नहीं । यदि इस बारे में कोई तर्क करना चाहता है तो ग्रिन्डलेज बैंक पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट देख लें । समिति के चेयरमैन ने समिति के 192वें प्रतिवेदन में दर्शाया है ग्रिन्डलेज बैंक जैसे विदेशी बैंक किस प्रकार जाली आंकड़े तैयार करते हैं । ऐसे बैंकों द्वारा भी बोनस दिये जाने को अध्यादेश द्वारा रोक लगा दी गई है । सभी बैंकों को इससे मुक्त रखा गया है ।

विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभों में बोसन की अदायगी से मुक्त रखा गया है । 1970 में यह राशि 2.63 करोड़ रुपए थी जबकि 1974 में 6.30 करोड़ रुपये हो गई है । उन बैंकों की जमा राशि 491 करोड़ से बढ़कर 768 करोड़ रुपए हो गई है ।

यह पूछने पर कि पिछले वर्षों में सरकार ने ऐसा क्यों किया है तो बताया जाता है कि यह भूल से हुआ है । वास्तव में अनिवार्य बोनस की अदायगी का सूत्र अहमदाबाद के मजदूर महाजन संघ द्वारा 20 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था । उक्त संघ के नेता श्री गुलजारी लाल नन्दा तथा श्री खंडू भाई देसाई हैं । वहां पर कभी हड़ताल नहीं हुई ।

बोनस आयोग इस बारे में एक मत था कि 4 प्रतिशत बोनस तो लाभ हानि पर ध्यान दिये बिना दिया जाये । क्या उक्त बोनस आयोग में केवल श्रमिक नेता थे ? इसमें नियोजकों के

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

प्रतिनिधि भी थे और उन्होंने भी इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे। इस बारे में क्या भूल हुई हमें समझ में नहीं आता।

बोनस पुनरीक्षण समिति की नियुक्ति भी की गई थी। उसकी रिपोर्ट एक वर्ष पूर्व दी गई थी। उस रिपोर्ट में मतभेद है। उस रिपोर्ट को भारत की संसद के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए था। कार्मिक वर्ग को ढोरों का झुंड समझा गया है। आप यह चाहते हैं कि उनसे जैसा चाहें व्यवहार किया जाये। तब भी आप यह उम्मीद करते हैं कि उत्पादन बढ़ सकेगा। नियोजक लोग बोनस की बचत करके उत्पादन घटाना चाहते हैं।

दूसरा तर्क यह दिया गया है कि बोनस का धन मजदूरों के पास जा कर बाजार में मूल्य बढ़ाता है। वित्त मंत्री ने बताया है कि प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपए बोनस के रूप में दिया जाता है। जबकि मैं समझता हूं कि यह राशि 80–90 करोड़ है। मुझे इससे थोथा तर्क अपने जीवन में सुनने को नहीं मिला। अरबों रुपए के आय कर का अपवंचन किया जाता है। क्या गरीब मजदूरों के बोनस के धन को बचा कर मुद्रास्फीति रोकी जा सकेगी? बंगाल में दुर्गा पूजा के समय, जबकि बोनस दिया जाता था, इस वर्ष मजदूरों के पास बच्चों के लिये मिठाई, वस्त्र आदि खरीदने के लिए धन नहीं था। यदि आप उत्पादन बढ़ाए बिना इसी प्रकार कर्मचारियों की क्रय क्षमता में कमी करते जाएंगे तब आपको एक और संकट का सामना करना पड़ेगा। वस्तुओं की मांग घटने से उत्पादन स्थिर हो जाएगा, स्टाक इकट्ठा होने लगेगा और स्टाक इकट्ठा होने पर कर्मचारियों की छंटनी की जाने लगेगी या फिर वह उद्योग बन्द कर दिए जाएंगे। सभी पूंजीवादी देशों में ऐसा हो रहा है आप उनके पदचिन्हों पर क्यों चल रहे हो। लगभग सभी पूंजीपतियों की यही मांग है कि मुद्रा स्फीति तथा बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए मजदूरों के वेतन में कमी की जाए और उनको मिल रही सुविधाएं कम की जाएं। और बोनस भी हटा दिया जाए।

यह पूछा गया है कि ऐसा और कौन सा देश है जहां इस तरह बोनस दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि पश्चिम के अन्य देशों में विचार विमर्श करके मजदूरी में वार्षिक वृद्धि की जाती है? यदि यह बात यहां भी लागू कर दी जाए तो मैं बोनस की मांग छोड़ दूंगा।

किसी अन्य देश में यहां की तरह महंगाई भत्ते का सिद्धान्त नहीं है। प्रत्येक देश में वेतन को समग्र रूप में लिया जाता है जिस तरह का अधिक वेतन पूंजीवादी देशों में दिया जाता है उस तरह अधिक वेतन देना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए स्थगित मजूरी का सिद्धान्त अपनाया गया है और इसी आधार पर कई समझौतों और उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर बोनस दिया गया।

अधिक बोनस देने के लिए किसी विशेष कम्पनी के नियोक्ताओं और कर्मचारियों को आपस में विचार विमर्श क्यों नहीं करने दिया जाता? कई कम्पनियों ने जिनके पास पर्याप्त संसाधन हैं उन्होंने 15 अथवा 20 प्रतिशत बोनस संदाय के लिए अपने कर्मचारियों के साथ 3 वर्ष और 5 वर्ष का समझौता किया हुआ है। किन्तु अब वे अपने कर्मचारियों को इसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। आप पैसा नियोक्ताओं के हाथ में रखना चाहते हैं। सरकार इस बात को कैसे सुनिश्चित करेगी कि जो धनराशि नियोक्ता कर्मचारियों को नहीं देते वह उत्पादक कार्यों में लगाई जाएगी?

जिन नियोजकों के पास अपने कर्मचारियों को अधिक बोनस देने के लिए संसाधन हैं, वे इस विधेयक से खुश नहीं हैं क्योंकि वह जानते हैं कि यदि उनके कर्मचारी खुश रहेंगे तो उनका उत्पादन बढ़ेगा और उनके व्यापार में वृद्धि होगी किन्तु उन पर अपने कर्मचारियों को अधिक बोनस देने पर रोक लगा दी गई है ।

सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया ने रिकार्ड लाभ दिखाया है यह कार्पोरेशन गत तीन वर्षों से अपने कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बोनस दे रही थी, लेकिन अब यह कार्पोरेशन 4 प्रतिशत से अधिक बोनस नहीं दे सकती हालांकि इसे होने वाले लाभ में लगभग 4 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । इससे औद्योगिक संबंध खराब होंगे ?

यह कहा गया है कि बोनस का संबंध न केवल लाभ से ही होगा अपितु उत्पादन से भी होगा। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग की क्या दशा होगी। लाभ के आधार पर तो उन्हें कभी बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि वहां के नियोक्ता कभी लाभ नहीं दिखाते। उन्हें उत्पादन के आधार पर भी बोनस नहीं मिलेगा क्या औद्योगिक नीति उत्पादन का स्तर कम रखने की है ।

एक ओर बोनस संदाय पर रोक लगाई जा रही है तो दूसरी ओर कम्पनियों द्वारा बोनस शेयर जारी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा। सरकार इन बड़ी कम्पनियों को एक के बाद एक रियायत देती जा रही है। यही कारण है कि हम सरकार को गैर सरकारी व्यापार को रियायत देने के लिए दोषी ठहराते हैं।

इस बोनस अध्यादेश तथा इस विधेयक से यह स्पष्ट है कि सरकार पूंजीपतियों तथा बड़े-बड़े एकाधिकारियों का पक्ष ले रही है अतः मैं निरनुमोदन संकल्प सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 11) का निरनुमोदन करती है।"

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाए।"

इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के संकल्प का कड़ा विरोध करता हूं। यह विधेयक सौद्देश्य तथा विभिन्न आर्थिक कारणों पर पूर्ण विचार करके और देश में विभिन्न विकास कार्यों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। एक विशेष आर्थिक नीति के अनुशरण की आवश्यकता हेतु यह विधेयक लाया गया है और बोनस विधेयक इस नीति का छोटा सा अंश है ।

(श्री रघुनाथ रेड्डी]

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1976 जिसका उद्देश्य बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 का निरसन करना है, राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है । राज्य सभा में जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया तो उसमें एक उपबन्ध था कि यदि किसी नियोजक ने वर्ष 1974 के किसी भी दिन अपने कर्मचारियों को 4 प्रतिशत से अधिक बोनस दे दिया हो तो वह नियोजक अगले तीन वर्षों में कर्मचारियों को दी जाने वाली बोनस की राशि में से बोनस की दी गई अतिरिक्त राशि को कम कर ले । कर्मचारियों की कठिनाई दूर करने के लिए राज्य सभा में इस उपबन्ध के लोप के लिए एक संशोधन पेश किया गया जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया । अब यह उपबन्ध विधेयक में नहीं है ।

किसी कम्पनी के कर्मचारियों को उस कम्पनी को होने वाले लाभ में हिस्सेदारी करने का निर्विवाद रूप से अधिकार है । उत्पादन और उत्पादिता प्रोत्साहन भी समान रूप से सर्वमान्य सिद्धान्त है और उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध मजदूरों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने से है । इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये बोनस अध्यादेश तथा प्रस्तावित विधेयक में बोनस का सम्बन्ध लाभ से अथवा दूसरे रूप में उत्पादन और उत्पादिता से जोड़ा गया है ।

1964 के बोनस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बोनस पर चर्चा की है । बोनस आयोग के विचार से जिस उद्योग में कर्मचारी कार्य करते हैं उसकी प्रगति से होने वाले लाभ में कर्मचारियों का अंश बोनस है । इससे यह स्पष्ट है कि बोनस लाभ में से मिलने वाला अंश है ।

प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सही निर्णय दिया था कि बोनस लाभ से संबद्ध है तथा इसे फ़ैक्टरी पूर्व लागत में नहीं जोड़ा जा सकता । सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि बोनस लाभ से संबद्ध है तथा फ़र्म को होने वाली हानि से उसका कोई मतलब नहीं । अर्थात् दूसरे शब्दों में जब तक फ़र्म को लाभ नहीं होता बोनस का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं विभिन्न देशों में लाभ में हिस्सा लेने की योजनाए चल रही हैं इस योजना का मूल सिद्धान्त है कि लाभ में हिस्सा दिया जाये । हमें दुनियां के किसी भी ऐसे देश के बारे में पता नहीं है जहां कि फ़र्मों को चाहे लाभ भी न हो रहा हो उसे कानूनन बोनस देना पड़े ।

बोनस का मूल आधार लाभ है । इसी से लाभ में हिस्सा लेने का सिद्धान्त बना है । लाभ के अभाव में बोनस का प्रश्न ही नहीं उठता । बोनस के दो मुख्य आधार हैं, पहला लाभ में हिस्सा तथा दूसरा उत्पादन और उत्पादिता ।

बोनस को लाभ के साथ जोड़ने की बात अधिनियम में शामिल है । धारा 10 के प्रस्तावित संशोधन के अनुसार फर्म के मालिक को भले ही एक पैसे का ही लाभ क्यों न हुआ हो उसे कम से कम 4 प्रतिशत बोनस देना ही होगा । यह बहुत ही उत्तम सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त की निन्दा किसी आर्थिक आधार पर नहीं की जा सकती । चार वर्ष की अवधि को ध्यान में रखा जाता है यदि किसी कम्पनी को किसी वर्ष घाटा भी हुआ तो लाभ और हानि में सन्तुलन किया जा

सके और सन्तुलित स्थिति में यदि लाभ हो तो कर्मचारियों को बोनस देना ही पड़ेगा । लाभ में हिस्सेदारी के अतिरिक्त बोनस को उत्पादन और उत्पादिता से भी सम्बद्ध किया गया है । इस सिद्धान्त को भी किसी आधार पर झुठलाया नहीं जा सकता ।

समानता रखने के ख्याल से बोनस देने की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत रखी गई है । इन दो सर्वमान्य सामाजिक आर्थिक सिद्धान्तों के अतिरिक्त इस मामले में और कोई युक्तिसंगत आधार नहीं हो सकता । अतः मूल अधिनियम की धारा 34 को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और तदनुसार संशोधन किया गया है ।

जब कम्पनी को लाभ होता है तो वह समूचे समुदाय का है न कि केवल अंशधारियों, कर्मचारियों अथवा प्रबन्धकों का ही । कम्पनी को जो लाभ होता है उससे समाज का हित होता है उस पर समाज का भी अधिकार है । अतः उसका एक भाग उद्योगों के विकास और अधिक रोज़गार दिलाने के उद्देश्य से निवेश किया जाना चाहिये ।

गरीब वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुये कम से कम बोनस 15 वष तक के कर्मचारियों के लिये 60 रुपये और अन्य के लिये 100 रुपये रखा गया है जब कि मूल अधिनियम में यह 25 और 40 रुपये था ।

छोटी-छोटी फर्मों को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाने की काफी अरसे से मांग की जाती रही है । माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि 10 से 19 कर्मचारियों वाली फर्मों को भी गजट में अधिसूचना के द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सकता है । इससे अब काफी संख्या में उन कर्मचारियों को भी लाभ होगा जो अब तक इससे वंचित थे ।

माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कर्मचारियों की क्रयक्षमता तथा उत्पादन स्थिरता के बारे में जो तर्क दिये हैं उस बारे में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यदि समाज के कुछ वर्गों को लाभ में हिस्सेदारी प्रदान की जाये तो उनकी आय बढ़ जाएगी । देश में आय के असमान वितरण के कारण काफी लोग इस क्रयक्षमता से वंचित हैं । इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा ।

जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है सरकार ने निर्णय किया है कि बोनस के स्थान पर अनुग्रह-पूर्वक अदायगी की जा सकती है । और समय-समय पर मजूरी स्तर, वित्तीय स्थिति इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण किया जाएगा ।

इस बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि कुछ नियोक्ताओं ने अमुक वर्ष के खाते में कर्मचारियों का उपदान देने के नाम पर काफी राशि नाम में डालदी है । वस्तुतः उपदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है । मालिक इस बहाने पर कि भविष्य में अनुदान की राशि दी जानी है आवंटनीय अधिशेष के कटौती योग्य व्यय से यह राशि घटाकर कर्मचारियों को उनके बोनस से वंचित करते रहे हैं । अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रकार नाम में डाली गई राशि सकल लाभ गिनते समय जोड़ दी जायेगी । ऐसा करने से मालिकों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी रूक जाएगी ।

[श्री रघुनाथ रेड्डी]

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके कारण बोनस के लिये संगत आधार ढूंढने की आवश्यकता पड़ी। उच्च लागत ढांचे के कारण विदेशी मंडियों में हमारी प्रतिस्पर्द्धा की शक्ति कम होती जा रही थी। जब तक इसका समाधान नहीं किया जाता भविष्य में स्थिति सुधर नहीं सकती थी। वस्तुतः उच्च लागत अर्थ-व्यवस्था का पहला शिकार मजदूर वर्ग है लेकिन हमने आर्थिक उपबन्धों के विरुद्ध अभियान चलाकर मुद्रास्फीति को रोकने में सफलता प्राप्त की है।

हमारे सामने मूल समस्या है कि किस प्रकार अधिक निवेश किया जाये और अधिक उत्पादन किया जाये? लागत और मूल्य कैसे कम किये जाएं और किस प्रकार अर्थ-व्यवस्था को सुधारा जाये और रोज़गार दिया जाये? आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर एकक बेरोज़गारी की समस्या को सुधारने के बजाए बढ़ायेंगे इस सामाजिक आर्थिक संदर्भ में विधान में किए गए संशोधनों की प्रशंसा की जानी चाहिये इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाए।"

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) :- मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 14 सदस्यीय प्रवर समिति को भेजा जाए तथा अनुदेश दिया जाय कि वह 1 अप्रैल, 1976 तक प्रतिवेदन दे दे :—

1. श्री एस० एम० बनर्जी
2. श्री दीनेन भट्टाचार्य
3. श्रीमती रोजा देशपांडे
4. श्री के० आर० गणेश
5. श्री इन्द्रजीत गुप्त
6. श्री के० मनोहरन्
7. श्री सरोज मुखर्जी
8. श्री वयालार रवि
9. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी
10. श्री वसन्त साठे
11. श्री शशि भूषण
12. श्री रामावतार शास्त्री
13. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्
14. श्री सी० के० चन्द्रप्पन

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बोनस संदाय अधिनियम 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्न-लिखित 14 सदस्यीय प्रवर समिति को भेजा जाए तथा अनुदेश दिया जाये कि वह 5 अप्रैल 1976 तक प्रतिवेदन दे दे :—

1. श्री एस० एम० बनर्जी
2. श्री त्रिदिब चौधरी
3. श्री मूल चन्द डागा
4. श्री दिनेश जोरदर
5. श्री हुकम चन्द कछवाय
6. श्री मधु लिमये
7. श्री प्रसन्न भाई मेहता
8. श्री मोहम्मद इस्माइल
9. श्री एच० एन० मुकर्जी
10. श्री नूरुल हुडा
11. श्री ईरा सेझियान
12. श्री डी० एन० सिंह
13. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी
14. श्री दीनेन भट्टाचार्य :

मैं इस बात पर हैरान हूं कि श्रम मन्त्री किस प्रकार सदन को इस बात से आश्वस्त कर रहे हैं कि बोनस न कर वह देश में सामाजिक न्याय लाएंगे । बोनस भुगतान (संशोधन) अध्यादेश का जारी किया जाना इस सरकार का आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद का एक महत्वपूर्ण कार्य है । अब मजदूरों को सरकार की नियत का पता लग गया है । वे अब समझने लगे हैं कि यह सरकार बोनस का भुगतान करने से इंकार करके एका-धिकारियों तथा पूंजीपतियों की सहायता कर रही है । इससे सरकार के चरित्र का पता लग गया है । सरकार इस बात के लिये भी प्रयत्नशील है कि अमरीका के बड़े बड़े एकाधिकारी तथा पूंजीपति यहां आकर इस देश को लूटें । इस अध्यादेश के जारी होने से पहले इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा आल इंण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसी संस्थाएं भी केन्द्रीय स्तर पर सरकार को अपना सहयोग देती थीं । अब ये संस्थाएं भी इस अध्यादेश का विरोध कर रही हैं । सभी मज़दूर संघ तथा संस्थाएं इस अध्यादेश तथा विधेयक का विरोध करते हैं ।

श्री वसन्त साठे (पीठासीन हुए)

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

सरकार ने, अध्यादेश के जारी होने से पहले बोनस भुगतान के बारे में कुछ सख्त उपाय किये हैं । सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आदेश जारी किये गये कि बोनस भुगतान के बारे में किसी

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

भी मजदूर संघ से बातचीत न करें। सेंसर अधिकारियों को भी आदेश दिये गये कि बोनस भुगतान तथा बोनस सम्बन्धी विरोध के बारे में किसी भी समाचार को प्रकाशित न किया जायें। ये सब कदम अध्यादेश जारी करने से पहले उठाये गये। अपीलीय न्यायाधिकरण फार्मूला और बोनस आयोग की रिपोर्ट के बाद से इस सिद्धान्त को माना जाता रहा है। पिछले 25 वर्षों में मजदूर संघों ने जो प्राप्त किया था, सरकार ने एक अध्यादेश से उसे समाप्त कर दिया है।

सरकार ने बोनस समीक्षा समिति का गठन किया था। यह समिति इस परिणाम पर पहुंची कि 4 प्रतिशत से अधिक बोनस दिया जाना कम्पनियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुये उचित है। उसके विचार से 8⅓ प्रतिशत बोनस दिए जाने पर भी कुल वेतन लागत उत्पादन लागत को देखते हुए पांच वर्ष पहले की तुलना में कम है।

सरकार इस विधेयक द्वारा अपने पहले वचन से पीछे हट गयी है जिसे मन्त्रिमण्डल ने स्वीकार किया था और जो खाडिलकर सूत्र के नाम से प्रसिद्ध था।

बोनस आयोग ने न्यूनतम 8⅓ प्रतिशत बोनस की सिफ़ारिश की है चाहे हानि हो या लाभ क्योंकि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि घोषित फालतू अनुपलब्ध होने के बावजूद कम्पनियां अपने श्रमिकों को न्यूनतम बोनस का भुगतान कर सकती हैं। लेकिन अब इस सिद्धान्त को त्याग दिया गया है। ऐसी स्थिति में कम्पनियां जाली हिसाब किताब रखेंगी और इसमें वे कम्पनियों के खातों में हानि दिखा कर श्रमिकों को बोनस नहीं देंगी।

उत्पादन और उत्पादिकता से बोनस को जोड़ने का बोनस की संकल्पना से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह इसी देश की उपज है। उत्पादकता के वर्तमान स्तर को देखते हुए श्रमिकों को अधिक बोनस और मजदूरी में वृद्धि का दावा करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन सरकार श्रमिकों के इस अधिकार को समाप्त कर रही है और मालिकों को मुनाफा हड़पने की अनुमति दे रही है। अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन योजनायें हैं। उत्पादिकता बोनस का लाभ या हानि पर आधारित बोनस के भुगतान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यह नयी भावना या संकल्पना मालिको के लिए एक और छूट है और मजदूरों पर अतिरिक्त कार्य-भार है जिससे उनका और अधिक शोषण होगा। यह विधेयक शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों और ग्रामीणों के बीच भेदभाव पैदा करता है। सरकार को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिये ताकि श्रमिकों कों पहले की तरह न्याय मिल सके।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : I support this Bill whole-heartedly. The question of bonus first arose in 1917. I am aware of all the aspects of bonus becuase I remained associated with the trade unions. It had been a casue of anxiety to the trade union leaders since long. Once Gandhiji said that the bonus should the determined on the basis of profit and loss for the each year.

Gandhiji wanted a good portion of the profit to be paid to the workers in the shape of bonus but it should be ensured that the functioning of the industry is not effected. The workers should not be paid bonus at the cost of industry. There was strike on the question of bonue 1921 at Ahmadabad and Shri Madan Mohan Malviya was appointed arbitrator. Shri Malviya gave his decision on 28th October, 1921. According to his decision a bonus equal to one month's salary was to be paid to the workers each year.

There were strikes in many cities on the question of bonus in 1928 and 1929. Even during second world war bonus was paid to the workers. It was in 1949 that the question of bonus was referred to the Industrial court Bombay which decided that the question of bonus

in respect of the industries which suffered losses, should be considered differently and lateron an Appellate Tribunal confirmed this decision of the Industrial court. The Tribunal evolved a new formula for the purpose of calculating bonus. As a result of the decision of the Tribunal, there was general strike in Bombay under the leadership of Shri Jaiprakash Narayan. Later on this case was also taken up in the Supreme Court.

The workers should be paid compensation for the excess work rendered by them. In my own state, bonus had been paid each year to the workers both in the public and private sectors. These workers received the bonus on the basis of the production of the industry. The Minister has said just now that bonus will be linked with production and productivity. It is a good thing. I am happy with this. The Goverment has taken a bold step. The workers and the country will be benefited by this step. It has to be ensured that capitalists do not take advantage of this step taken by the Government.

The workers will gain more if bonus is paid on the basis of production and productivity. In National Newsprint Mill Nepa production has increased from 100 to 156 tonnes per day. Bonus at the rate of 32 percent is being paid there. There is one Security Paper Mill in Hoshangabad. Although production capacity of this Mill is 7 tonnes per day, actual production was 4 tonnes per day. To day the production of this Mill has gone upto 9 tonnes. This is because the workers there are getting 80 percent production bonus.

Payment of bonus should be linked with profit, production and productivity. But production will suffer if a ceiling of 20 percent is imposed on bonus.

We want that the amount of bonus thus saved should go to the National Fund and be utilised for development works in the country. with these words I support the Bill.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं । मजदूर वर्ग का नेता होने के कारण मुझे उस अध्यादेश से भारी आघात पहुंचा है जिसके द्वारा छटनी, जबरन छुट्टी और तालाबन्दियों पर प्रतिबन्ध न लगा कर बोनस की दर 8.33 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत करदी गई है । वह अध्यादेश मजदूरों के लिये अभिशाप हैं जबकि पूंजीपतियों के लिए एक वरदान है । यदि मजदूर वर्ग को इस बात पर विश्वास है कि यह निर्णय देश के हित में है तो वे कदापि इसके विरूद्ध आवाज न उठाते । किन्तु उन्हें विश्वास है कि यह सब कुछ टाटा तथा बिड़ला बन्धुओं के इशारे पर किया गया है जो सदैव 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस देने के विरुद्ध रहे हैं ।

प्रधान मन्त्री ने कहा है कि घाटे में चल रहा कोई भी एकक कैसे बोनस दे सकता है ? अब देखना यह है कि ऐसा कौनसा औद्योगिक एकक है जिसने हानि उठाकर 8.33 प्रतिशत या 4 प्रतिशत बोनस दिया है । कोई भी व्यक्ति प्रधान मन्त्री और श्रम मन्त्री से पूछ सकता है कि क्या कोई पूंजीपति दो नम्बर का खाता दिखाने के लिए तैयार है वे दो प्रकार के खाते रखते हैं । वे तुलन-पत्र में हेरा-फेरी करके तैयार कर लेते हैं । जब हम बोनस के लिए बातचीत करते हैं तो वे अवास्तविक तुलनपत्र दिखा देते हैं । परन्तु वास्तविक अपने पास रख लेते हैं । यदि तुलनपत्र सही होते तो तो इन छापों से 1500-1600 करोड़ रुपये के काले धन का पता न चलता । इसके फलस्वरूप मजदूर न केवल 8.33 प्रतिशत बोनस से वंचित किये जायेंगे अपितु भविष्य में उन्हें 4 प्रतिशत बोनस भी नहीं मिलेगा । यह कदम उस समय उठाया गया है जब मजदूर लोग प्रतिक्रियावादी शक्तियों से लड़ने में और आपात स्थिति तथा 20-सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने में सरकार के साथ हैं । इस देश में 27 करोड़ लोग भुखमरी की हालत और गरीबी रेखा से नीचे का जीवनयापन कर रहे हैं । जब सरकार दूसरे देशों की बात करती है तो इसे वहां पर श्रमिक वर्ग की सेवा शर्तों के बारे में बताना चाहिये । हम बोनस नहीं चाहते परन्तु हमें आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिये ।

[श्री एस० एम० बनर्जी]

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजीर ने, जिसने 1973–74 में 78 लाख रुपये का लाभ कमाया था, अपने कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बोनस दिया था । 1974–75 में लाभ 78 लाख रुपये से बढ़कर 238 लाख रुपये हो गया और मजदूरों को केवल 4 प्रतिशत बोनस दिया गया । यदि इसे उत्पादन या उत्पादिकता से नहीं जोड़ा गया तो लाभ का प्रश्न कैसे खड़ा होता है । इसी कारण कर्मचारियों ने बोनस स्वीकार नहीं किया है ।

जीवन बीमा निगम में कर्मचारियों को 1974 में 16 प्रतिशत बोनस दिया गया । अब उन्हें कहा जा रहा है कि यह रकम उनसे वसूल की जायेगी । कृपया यह बतायें कि जब सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम बोनस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते तो फिर उन पर यह व्यर्थ का अध्यादेश कैसे लागू हो सकता है ? बम्बई उच्च न्यायालय ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को स्थगन आदेश दिया है और अब बोनस की वसूली नहीं की जा रही है । मैं मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम बोनस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं उन पर यह अध्यादेश लागू नहीं किया जायेगा । उनके साथ चार साल का करार किया गया है । बैंक कर्मचारियों को भी बोनस से वंचित किया गया है । अब कहा गया है कि कर्मचारियों को केवल 6 प्रतिशत, 7 प्रतिशत और 8 प्रतिशत बोनस दिया जायेगा । 8 प्रतिशत केवल 8 बैंको में दिया जायेगा ।

अब उत्पादिकता तथा उत्पादन का प्रश्न उठाया गया है । यदि उत्पादिकता नहीं है तो उत्पादन की बात क्यों की जाये उस समय ऐसा अध्यादेश क्यों नहीं लाया गया जब 12 कपड़ा मिलों के बन्द किये जाने से लाखों लोगों की जबरन छुट्टी की गई । आज वित्त मन्त्रालय ने कहा है कि यदि लाभ 50 प्रतिशत से अधिक होता है तो इसे कम करके 50 प्रतिशत कर दिया जायेगा । क्या इससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ? क्या उत्पादन बढ़ाने का यह तरीका है ? क्या इससे श्रमिकों को लाभ मिलेगा ? इससे उत्पादन में कमी होगी । इससे मजदूरों के मनोबल पर कुप्रभाव पड़ेगा ।

हमें आश्वासन दिया जाना चाहिये कि इस अधिनियम में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी संस्थापना में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोजकों के साथ किसी फार्मूले के अन्तर्गत, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उससे भिन्न हैं, समझौता करने से रोकें ।

रेल कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों और डाक-तार कर्मचारियों द्वारा बोनस मांगने पर कहा गया कि विभागीय उपक्रम बोनस नहीं देंगे । परन्तु जब सरकारी क्षेत्र की बात आती है तो कहा जाता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बोनस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आयेंगे । मन्त्री महोदय इन सब बातो को स्पष्ट करें ।

आज वामपंथी दल कई कारणों से अलग-थलग हो सकते हैं । परन्तु जब मजदूर वर्ग को पुनः एक करने की बात उठेगी तो हम सब एक हो जायेंगे और यह प्रयास करेंगे कि उन्हें उनका बोनस बहाल किया जाये।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपूजा) : जिस विधेयक पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हे । इसका महत्व इसलिए नहीं है कि इसमें क्या है, अपितु इसलिए हें कि आगे से इस देश में औद्योगिक सम्बन्धों को इस विधेयक के अन्तर्गत किस तरह निभाया जायेगा । मैं तथा इंटक के सदस्य इस विधेयक में निहित बातों के विरुद्ध लड़े हैं । यहां तक कि इस विधेयक को राज्य सभा

में पुरःस्थापित किये जाने के बाद भी मैंने कुछ बातचीत की और एक ज्ञापन भी पेश किया और कुछ संशोधन करने के लिए कहा। किन्तु श्रम मन्त्री ने केवल एक ही संशोधन स्वीकार किया है कि विधेयक विगत प्रभाव से लागू नहीं किया जायेगा और 1974 में जितना भी बोनस दिया गया था वह दिया हुआ समझा जायेगा। अतिरिक्त बोनस की वसूली नहीं की जायेगी।

इस विधेयक की पहली मुख्य बात यह है कि बोनस अधिनियम उन संस्थानों पर भी लागू होगा जहां पर 20 से कम कर्मचारी काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि न्यूनतम बोनस की राशि 40 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये की जा रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत वेतन दिया जाता है। उनकी मजदूरी किसी तरह भी उतनी नहीं हो पायेगी।

विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं। पहला परिवर्तन यह है कि उपलब्ध प्रावधान करने योग्य अतिरिक्त धनराशि को ध्यान में न रखकर न्यूनतम बोनस का दिया जाना और इस के लिए शर्त यह है कि यदि न्यूनतम बोनस देना है तो फिर इसके लिए प्रावधान योग्य कुछ अतिरिक्त धनराशि होनी चाहिये।

दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि बोनस देने के लिए कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा तत्पश्चात् उत्पादन तथा उत्पादिकता पर आधारित बोनस को सुरक्षित माना गया है बशर्ते कि अधिकतम 20 प्रतिशत हो। यदि उत्पादन तथा उत्पादिकता के आधार पर बोनस दिया जाता है और यदि उस आधार पर कोई फार्मूला तैयार किया जाता है तो फिर प्रावधान करने योग्य अतिरिक्त धनराशि और उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि का प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक बोनस समीक्षा समिति का सम्बन्ध है, यह समिति सरकार को मतैक्य से तैयार किया गया प्रतिवेदन पेश नहीं कर पाई है। यहां तक कि समिति के श्रम सदस्य भी किसी विशेष फार्मूले पर सहमत नहीं हो सके हैं। देश में मजदूर संघ एक होकर कोई फार्मूला तैयार नहीं कर पाये हैं जिसके कारण सरकार को यह कदम उठाना पड़ा।

आज के बाद औद्योगिक सम्बन्धों को नई दिशा मिलेगी। सरकार का कहना है कि लाभ न हो पर बोनस नहीं दिया जायेगा। इससे हम सहमत हैं। परन्तु लाभ का हिसाब-किताब कौन लगायेगा? अब श्रमिक भागीदारी का प्रश्न उठता है। अब आप कहते हैं कि बोनस संदाय के लिए लाभ पूर्व शर्त है। श्रमिकों को भागीदार बनाया जाना चाहिये। इससे श्रमिको को उद्योगों के प्रबन्ध में अधिक से अधिक भाग लेने का प्रोत्साहन मिलेगा।

निश्चय ही नये उपाय खोजे जायेंगे। गोआ में 'इंटन' ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि बोनस के लिए यह पद्धति अपनाई जानी चाहिये कि 12 महीने के कार्य के लिए 13 महीने का वेतन दिया जाये। यह न केवल औद्योगिक संस्थानों अपितु अन्य सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होना चाहिये। बोनस को उत्पादन के लाभ की भागीदारी माना गया है जो कि एक अच्छी बात है। वर्तमान विधान के अनुसार मजदूर संघों के नेताओं की बुद्धिमत्ता तथा पहल करने की क्षमता को चुनौती दी गई है।

[श्री सी० एम० स्टीफन]

यह विधेयक ऐसा है कि इसके पक्ष में तथा विपक्ष में काफी कुछ कहा जा सकता है। सरकार, सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र को यह नहीं समझना चाहिये यह लड़ाई यहीं समाप्त हो गई है, अभी तो यह आरम्भ ही हुई है। मजदूरों को लेखा जोखे, उत्पादन, सम्पत्ति सूची आदि सभी में शरीक किया जायेगा। मैं समझता हूं कि विधेयक ने हमारे सम्मुख मजदूर संघ कार्यकर्ता के रूप में जो चुनौतिय प्रस्तुत की हैं, हम उनका सामना करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री इराज्मु-द-सेकैरा (मार्मागोआ) : अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह स्पष्ट प्रकट होता है कि विधेयक का एकमात्र उद्देश्य न्यूनतम बोनस को समाप्त करना ही है और इसका सम्बन्ध किसी भी प्रकार से मुनाफे या उत्पादिकता से नहीं जोड़ा गया है। इतना ही नहीं अधिनियम में जो इस आशय का उपबन्ध था कि कर्मचारी तथा नियोजक अधिक बोनस के लिए आपस में समझौता कर सकते हैं, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। यह कितनी विचित्र बात है जो सुविधा एक बार दे दी जाती है, उसे वापिस कैसे लिया जा सकता है। इन सभी बातों को देखने पर ऐसा लगता है मानो आपात स्थिति से पूर्व तो इस सरकार का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यह समझ नहीं आता कि यह सरकार किस सीमा तक अपनी लज्जा को त्याग देना चाहती है।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुये।]

[SHRI C. M. STEPHEN IN THE CHAIR]

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह ठीक ही कहा है कि फास्सिटवाद का प्रथम शिकार मजदूर वर्ग ही होता है। यदि सरकार बोनस का सम्बन्ध उत्पादन तथा उत्पादिकता से जोड़ना चहती है तो फिर न्यूनतम बोनस को समाप्त करना ही ठीक है परन्तु इसके साथ अधिकतम बोनस भी समाप्त किया जाना चाहिए। बोनस को किसी भी प्रकार के फार्मूले के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए अपितु इसे मजदूरी तथा मूल्य की अनुपात के साथ ही मिलाया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि वर्तमान विधेयक केवल आपात स्थिति का दुरुपयोग ही है या इसे दूसरे शब्दों में सतारूढ़ दल का मजदूर वर्ग के साथ धोखा ही कहा जा सकता है।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): Undoubtedly, it is a controversial Bill and a lot can be said on both sides but I wish to submit that we should not be emotional in our approach. This Government will not do anything to harm the interests of working class. This wrong notion should not be entertained that interests of working class will be ignored. This Bill should only be judged by the criterian as to how far it will protect the interests of working class.

By this Bill, the Government has tried to give some stability to the form of bonus which uptill now was changing quite frequently. This measure has been brought before the House after serious and mature deliberations. It envisages the linking of bonus with production and payment of at least 4 percent bonus to the workers. I want to emphasise that Government should ensure the payment of 4 percent bonus to workers.

It is also commendable that this measure seeks to raise the minimum limit of bonus from Rs. 40 to Rs. 100. But my submission is that it should also be provided that the distribution of bonus will be based on the balance sheet of the company. A committee of workers representatives should be there to determine the increase in profit and production. My feeling is that unless adequate measures to bring about workers participation in the management o an industry are not taken up, it will be difficult to maintain peaceful relations between the labour and employers. Therefore, in the interests of peace in an industrial area and with a view to avoid any confrontation, an industrial relations Committee should also be set up.

Lastly I want to submit that a provision should be made in the Bill to the effect that no discrimination could be made in the matter and for safeguarding the interests of workers. With these words, I support the Bill.

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मंत्रालय की प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने वास्तव में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए श्री रघुनाथ रेडडी को आगे कर दिया है। यह विधेयक बहुत ही घातक लगता है। बोनस अधिनियम के पीछे हमारा वर्षों पुराना संघर्ष का इतिहास जुड़ा हुआ है। अनेक संघर्षों के बाद श्रमिक वर्ग के लिए हम इस प्रकार का अधिनियम तैयार करवाने में सफल हुए। परन्तु अब ऐसा लगता है मानों वह सब कुछ समाप्त किया जा रहा हो।

मैं वर्तमान विधेयक का अनेक कारणों से विरोध करता हूं। प्रथम बात यह है कि इस विधेयक से बोनस प्रतिशतता कम कर दी गई है। दूसरे बोनस अगले वर्ष के लिए तो समाप्त ही कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा करके न केवल श्रमिकों को ही धोखा दे रही है अपितु एकाधिकारवादियों को अनुचित लाभ पहुचाने के लिए भी प्रयत्न किया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार विदेशी कम्पनियों के साथ पक्षपात करना चाहती है। क्या यह आशा की जा सकती है कि नियोजक अधिक बोनस देने की दृष्टि से कभी अपना लाभ अधिक दिखायेगा? कहने को यह कहा गया है कि नियोजक को अपने कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अधिक वेतन दिलवाने की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु वास्तविक स्थिति यह नहीं है कम्पनी बोनस की गरज से कभी भी अपना लाभ अधिक नही दिखाती। कम्पनियों द्वारा जाली ऋण दिखा दिया जाता है। वहां ऐसी अनेक अनियमितताएं होती हैं परन्तु आप उनके बारे में प्रश्न नहीं कर सकते।

आप इस विधेयक द्वारा कर्मचारी वर्ग को नकसान पहुंचाकर नियोजकों और एकाधिकारी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इस विधेयक से देश के प्रतिक्रियावादी तत्वों को फायदा होगा और मजदूर वर्ग में रोष फैलेगा। मुझे खेद है कि सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

श्री वसन्त साठे (अकोला): आरम्भ में हमने मजदूरों को लाभ में से बोनस दिये जाने के लिए संघर्ष किया था, परन्तु बाद में जब मंहगाई भत्ते को जीवन निर्वाह के सूचकांक के साथ नहीं जोड़ा गया तो बोनस को स्थगित की गई मजूरी माना गया। इस के साथ ही न्यूनतम मजूरी की बात जुड़ी हुई है। ऐसी मजूरी चाहे लाभ हो अथवा हानि हो, मिलनी ही चाहिये। इस नियम को अब तक कार्मिक संघों ने माना और उच्चतम न्यायालय ने भी बोनस को स्थगित मजूरी की संज्ञा दी। इसे उसने रद्द नहीं किया।

लाभ में भागीदार होने सम्बन्धी बात को मन्त्री महोदय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह मूल स्थिति को बहाल करना चाहते हैं। फिर खण्ड 7 में आवंटनीय लाभ की बात है। क्या यह कराधान विधि के अनुसार होगा? इसकी यहां पर परिभाषा नहीं दी गई है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : आवंटनीय लाभ का हिसाब लगाते समय अनुसूची के साथ धारा 15 को पढ़ना होगा। मेरे विचार में इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है।

श्री वसन्त साठे : क्या यह मजदूरों को धोखा देना नहीं होगा, कि लाभ में से अतिरिक्त बोनस शेयर दे दिये जायें और फिर जो कुछ बचे उसे आवंटनीय लाभ में शुमार किया जाये ? ऐसा करने पर आवंटनीय लाभ बचेगा क्या ? इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

खण्ड 10 में व्यवस्था की जा रही है कि जब किसी कर्मचारी ने पूरे वर्ष के काम के दिनों में जितने दिन काम नहीं किया है तो देय बोनस में से उन सभी दिनों की अनुपातिक कमी कर दी जायेगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई मजदूर किसी ऐसे कारण से अनुपस्थित रहता है जो उसके बस में नहीं है। पहले एक वर्ष में 240 दिन तक कार्य करने वाले मजदूर को बोनस का भुगतान होता था। अब उन दिनों के लिये इसकी कटौती कर ली जायेगी जब किसी मजदूर ने कार्य नहीं किया है। ऐसा उपबन्ध करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

बोनस का भुगतान उत्पादन के एक नियत स्तर से ऊपर उत्पादन होने पर किया जाना चाहिये। उत्पादकता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नियत समय में कितना उत्पादन किया गया है। किसी व्यक्ति की उत्पादकता कम उत्पादन पर निर्भर नहीं करती।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं स्पष्ट कर दूं।.एक कार्मिक संघ उत्पादकता या उत्पादन के आधार पर अथवा दोनों के आधार पर करार कर सकता है। इस बारे में उन्हें छूट होगी। हमने कार्मिकों के हित को ध्यान में रखा है।

श्री वसन्त साठे : मैं समझता हूं कि 'अथवा' शब्द का रखा जाना मजदूरों के लिये लाभप्रद है। अब लाभ का ध्यान न करते हुए भी बोनस के बारे में करार किया जा सकेगा। इस उपबन्ध के लिये मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

यदि कर्मचारियों को प्रबन्ध के सभी स्तरों पर भागीदार बनाये जाने की व्यवस्था नहीं की जाती, तो यह बहुत अनुचित होगा। अब कर्मचारियों को बोनस देने के मामले में गड़बड़ होती है। यह उत्पादन और खातों में बेईमानी करके किया जाता है। आप जानते हैं कि देश में काला धन कैसे बढ़ा है। क्या सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे खातों आदि पर कड़ी सतर्कता रखी जा सके और वास्तविक उत्पादन का हिसाब रखा जा सके। वित्तीय संस्थाओं के प्रबन्ध में कर्मचारियों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। अन्यथा कर्मचारियों का समर्थन नहीं मिलेगा।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh): The Bill in its present form needs many modifications. Our working class has accepted the challenges to the country with courage and determination. They have made every sacrifice for the sake of the country. It would have been better if the representatives of the labour had been consulted before finalising the new formula regarding bonus.

I want to refer to the coal mine workers. During the last two years, coal production has increased by 24 percent. Previously, bonus was paid at the rate of 8 per cent. Now it is going to be reduced. This will in no way satisfy labourers. This aspect should be looked into.

An effort has been made through this Bill to streamline and rationalise the bonus issue. We know that a large number of companies maintain fictitious accounts. Their balance sheets are not reliable. A reference has been made about the workers' participation in the management. A director representing the workers cannot understand the intricacies of accounts. I would suggest that such a Director should be provided all these secretarial facilities as are provided to other directors. In this way he will be able to keep an eye on the balance sheet of the company. If you want a meaningful participation by the workers, you should give real powers to their representatives in the management.

Shri Chiranjiv Jha (Saharsa): Sir, I support this Bill. We were waiting for this measure for long. This Bill is a step towards the establishment of true socialism Various steps have been taken to implement the 20-point economic programme. This Bill is also a step in that direction. Our workers are the backbone of our economy. They have been exploited for long. Now it is hoped that this exploitation will stop and they will be paid their due.

This Bill will inspire them to increase production. Unless we increase production, there cannot be any possibility of payment of bonus. We should encourage the workers to step up production in factories. It will be beneficial to both the workers and the employers. We should provide for the workers' participation in the management. This will be an impetus to boost production.

श्रीमती रोजा देश पांडे (बम्बई-मध्य) : मैं विधेयक का विरोध करती हूं और अध्यादेश के निरनुमोदन करने सम्बन्धी संकल्प का समर्थन करती हूं। बोनस अध्यादेश और अनिवार्य जमा योजना को प्रवर्तित करने का उद्देश्य था कि अधिक निर्माण हो और उत्पादन बढ़े। परन्तु मूलत: ये योजनाएं कर्मचारी वर्ग के हितों के विरुद्ध हैं। बोनस अध्यादेश और अनिवार्य जमा योजना से कर्मचारियों की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ गई हैं।

इन योजनाओं के बाद बड़ी कम्पनियों ने बोनस शेयर जारी करके लाभांश भी बढ़ा लिये। इस योजना से सरकारी खजाने में राशि में वृद्धि नहीं हुई है। वित्त मन्त्रालय सदैव पूंजीवादी लोगों को प्रोत्साहन देता है और उन्हें अधिकाधिक सुविधाएं देता है। कम्पनियां अपने-अपने स्टाक बढ़ा लेती हैं और इस प्रकार बड़ी-बड़ी राशियां रोक ली जाती हैं। काला धन यहीं जाता है। क्या सरकार ने ऐसी राशियों को परिचालन में लाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ? कुछ दिन पूर्व श्री प्रणव कुमार मुखर्जी ने राज्य सभा में माना है कि एकाधिकारियो ने काले धन के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था को बहुत हानि पहुंचाई है। फिर भी सरकार उनको निर्यात के लिये सहायता देती है। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी और मजदूर वर्ग का सहयोग नहीं मिलेगा। इसी वर्ग ने संकट की स्थिति में सरकार का साथ दिया है। अब सरकार इसे अप्रसन्न कर रही है। मेरे विचार में यह विधेयक सर्वथा अनुचित अनावश्यक है। कर्मचारी वर्ग इसके विरुद्ध संगठित होकर खड़ा हो जायेगा। सरकार इस पर पुन: विचार करे और इसे वापिस ले।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): Sir, I support this Bill. I have heard the views of both the sides. It is unfortunate that the views of the leaders of trade unions are not broad minded. They do not take into consideration the difficulties and hardships of teeming millions of this country. The population of our country is about 58 crores. The number of working class among them is about one crore. We should think of the interest of all the classes of the people of country.

During the last few years, a sort of agitation has been going on all over the country. The workers were resorting to violent methods. They wanted increases in their wages whether it was justified or not. We saw strikes and other coercive measures being adopted. Government was pressurised and forced to agree to certain wrong things. In this way, the economy of the country was subjected to great strain. Government gave thought to this problem and decided that a losing concern should not be forced to pay bonus to its employees. This is a good decision and it will be in the interest of our economy. We have mixed economy in our country. Our public sector and private sector run side by side. We receive assistance from the Western countries also. We have to safeguard the interests of investors and workers. We cannot have a rigid attitude. It is wrong to say that the workers' money is being given to capitalists through this measure.

The Government has already became realist and it would become more so in future. There is so much unemployment in the cities of India and there has to be heavy investment in the industrial sector to generate employment opportunities. If surplus is generated mobilized and invested in a right way, it can provide employment for all.

The plus points of the Bill have already been mentioned by the hon Minister and other members. The Government should to take a broad view of the problems of labour. They should do something for the 90 percent population of the country which is dying of poverty.

Shri M. C. Daga (Pali): The National Labour commission headed by Shri Gajendragadhkar said that the gap between actual wages and the living wages is very wide.

There is great disparity between the labourers and employers. Wherever there is disparity, dissatisfaction is bound to increase. Things cannot improve unless there is participation of labour in the management. Even in the public sector, too much is spent on the management. Therefore participation of labour and a proper system of checking of accounts are very necessary. Otherwise, it is the employers who would take the advantage of this legislation and the condition of labour may not improve at all.

श्री पी० जी० मावलंकर (ग्रहमदाबाद) : मैं समझता हूं कि इस विधेयक में सरकार ने न तो ग्रार्थिक दृष्टिकोण से ग्रौर न ही मजदूरों के ग्रधिकारों को सामने रख कर विचार किया है।

जब 8.33 प्रतिशत बोनस का कानून बना था तब किसी भी कांग्रेसी सदस्य नें इसका विरोध नहीं किया था। मेरा प्रश्न तो यह है कि यदि कुछ वर्षों से हमने बोनस के सिद्धान्त को ग्रच्छा समझा था तो ग्रब सहसा हमारे दृष्टिकोण में इतना ग्रन्तर कैसे ग्रा गया ? यदि ग्राप श्रमिक वर्ग के प्रति न्याय करने के मूलभूत सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो ग्राप स्वीकार करेंगे कि यह विधेयक श्रमिक विरोधी है। पिछले 28 वर्षों में केन्द्रीय सरकार का तथा राज्य सरकारों का रवैया नियोजकों के पक्ष में ग्रधिक रहा है, कार्मिकों के पक्ष में कम, यद्यपि निर्वाचन के समय मजदूरों की सभा में ग्रौर तरह की बातें कहीं जाती हैं। क्या श्रम मन्त्री बता सकते हैं कि श्रमिकों के लाभ में तथा प्रबन्ध में भागीदार बनने की कितनी योजनाएं हैं ? ग्रहमदाबाद के मजदूर संगठन का कहना है कि हमें ग्रधिक उत्पादन के लिये दण्डित न किया जाये ग्रौर ग्रपने से वंचित न किया जाये ।

इस विधेयक का बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ग्रहमदाबाद में 65 मिलों में से चार ने 4 प्रतिशत से ग्रधिक ग्रौर शेष ने केवल चार प्रतिशत बोनस दिया है। मिलों को 1975 में भी उतना ही लाभ हुग्रा जितना 1974 में हुग्रा था। परन्तु 1975 में कोई बोनस नहीं दिया जायेगा। क्योंकि नयी व्यवस्था के ग्रन्तर्गत यदि मिल का लाभ 50 लाख रुपये है तो कोई बोनस नहीं दिया जायेगा।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मामले का विशेषज्ञों द्वारा पुनरीक्षण कराया जाये ग्रौर यदि वह सिफारिश करे तो बोनस की कटौती न की जाये।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : By and large, the working class adcpts a realistic approach towards the problems. They opposed the agitation led by Shri Jai Prakash Narayan and supported the policies of the Government. But we should not forget that among the working classes also, there are persons who indulge in activities which are against the country. The strikes in Railways, L.I.C., Banks and other industries. Such people are responsible for lower production.

The working class on the whole is good. The people who supported the agitation of Shri Jai Prakash Narayan used to think that they were the only people who could protect the country. That has proved to be wrong. Shri Banerjee demanded that people engaged in Defence production should be given bonus. Why these people who defend the borders of the country are not given bonus ?

Our farmers who work hard in the fields day in and day out are also not entitled to any bonus. The issue of bonus should be linked with production. How profits are manipulated, how expenditure is made, the pricing policy all these things require to be examined.

Some sectors enjoy monopoly due to which they can raise the price as they like. There, the labour would ask for bonus according to profit. Therefore, there should be a pricing policy.

If the profit is re-invested in the industry, then only this arrangement for bonus can be justified, otherwise, it would mean that the Government want to benefit the industrialist at the cost of labour by depriving them of bonus. The Bill is a step towards right direction but unless there is a pricing policy and the question relating to expenditure, profit and investment are settled, it is not likely to be much of a success.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत जैसे गरीब देश में ऐसे विवादास्पद मामले उठाये जायें।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैंने विरोधी नेताओं से बात कर ली है। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री डी० डी० देसाई : हमारे जैसे गरीब देश में बचत और पूंजी विनियोजन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। युद्ध में पराजित होने वाले देशों ने भी अपनी अर्थ-व्यवस्था में पर्याप्त सुधार कर लिया है परन्तु भारत अभी भी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। हमें मुद्रास्फीति से भी हानि उठानी पड़ी है। इस के कारण मजदूरों की कठिनाइयां और समस्याएं भी बढ़ी। अब इस पर काबू पा लिया गया है।

देश में बेरोजगारी की स्थिति विषम है। किसानों को उनके उत्पादन का उचित लाभदायक मूल्य नहीं मिल रहा इसलिए रोजगार की तलाश में वे गांवों से शहरों में आ रहे हैं। शहरों की आबादी बढ़ रही है।

देश के श्रमिक तो संगठित हैं परन्तु किसान संगठित नहीं हैं। परिणामस्वरूप किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है अभी हाल ही में प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में उत्पादित कच्चा माल तो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से बहुत कम दामों में बिकता है किन्तु निर्मित माल का मूल्य बहुत अधिक है।

हमारी प्रति व्यक्ति आय 800 रुपए है। नगरों की प्रति व्यक्ति आय 2000 रुपए बैठेगी जबकि गांवों की 300 से 500 रुपए। शहरी क्षेत्रों के इस तुष्टीकरण के बावजूद भी हमारे दल को समर्थन केवल गांवों से मिलता रहा है तथा सभी विरोधी सदस्य नगरों से चुने जाते हैं

ग्रामीण क्षेत्र गरीब हैं और उन्हें और गरीब बनाया जा रहा है। हमारे पटसन तथा रुई के उत्पादक कम से कम दाम लेते हैं तब भी हमारी मिलें प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाती हैं।

श्री वसन्त साठे : फिर आप कृषकों के लिये न्यूनतम वेतन का समर्थन क्यों नहीं करते ?

श्री डी० डी० देसाई : आपका यह विचार सही नहीं है कि हम कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी का विरोध करते हैं।

तुलन-पत्रों में फेर-बदल की बात कही गई है। इसे आसानी से रोका जा सकता है। जहां तक आवंटनीय अधिशेष का प्रश्न है, इसे अनिवार्य खर्चे निकाल कर निर्धारित किया जाता है।

[श्री डी० डी० देसाई]

बोनस शेयरों की चर्चा की गई है। यह और कुछ नहीं केवल विलम्बित लाभांश हैं। इससे उद्योगों के पास कुछ समय तक धन रहा आता है जिससे वे अतिरिक्त साज-सामान खरीद सकते हैं और लोगों को रोजगार मिल सकता है। यह सरकार की नीति के अनुकूल ही है।

श्री मावलंकर ने कहा कि यह विधेयक उद्योगपतियों के पक्ष में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि साम्यवादी देशों सहित सभी देशों में उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Dr. Kailas (Bombay South): During 1972, we accepted the 8·33 percent formula of bonus. It was laid down that even the companies which were running in loss would have to pay bonus. We took that step in order to enhance production with the cooperation of workers. Now we find that while the workers are getting so much the number of unemployed is increasing. For that purpose we want that organized labour may sacrifice something.

Today, an opportunity has come for the labour leaders to bear some responsibility. It should be seen how much inventory the employers are maintaining that they are not indulging in wasteful expenses etc. for this, it becomes necessary to ensure participation by labour at all stages until this is done we cannot derive the desired benefits. In the guidelines to be given, the states should be asked to ensure that duplicate account books are not maintained by the employers. The labour leaders should also take care of this. The hon. Minister stressed that there should be provision of funds for replacement of machinery so that employment opportunities may increase. The state Governments should be given due instructions to ensure that this money was spent for the purpose for which it was provided.

The Hon. Minister also said that we had to see that our exports increased year after year, for this, we had to keep a watch over the export houses. If the export houses do not increase exports, they should be penalized.

It is not good criticising the Government for bonus decision. A time may come when we may be able to increase the percentage of bonus to 10% or even 20 per cent. The decision that we took earlier about 8·33 per cent has proved to be wrong. So we want to mend it We want to provide economic freedom to people and also more avenues of employment.

I hope that the hon. Minister would give suitable guidelines to the State Governments so that the purpose for which the Bill was brought forward is fulfilled.

In the end, I request the labour leaders particularly Shri Inderjit Gupta to withdraw his resolution.

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद करता हूं. . . . .

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार 4 फरवरी 1976/मध्य माघ 15, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, February 4, 1976/Magha 15, 1897 (Saka).

GMGIPND—MNS—163 LS—29-6-76—200